रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2013/फाल्गुन 23, 1934

No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2013/PHALGUNA 23, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2013

सा.का.नि. 172(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिलिप्यधिकार नियम, 1958 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **निर्वचन.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 11 की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "प्रतिलिप्यधिकार कारबार" से धारा 14 में निर्दिष्ट किसी कृति या उसके किसी सारवान भाग के संबंध में विनिर्दिष्ट कृति में कोई अधिकार या अधिकारों के किसी समूह के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने या प्रदान करने का कारबार अभिप्रेत है तथा जिसके अंतर्गत धारा 34 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कृत्य भी हैं;

(घ) "प्ररूप" से पहली अनुसूची में दिया गया कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों की कोई अनुसूची अभिप्रेत है; और

(च) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों या पदों के, जो उसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

3. **बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और शर्तें**

(1) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी अवधि के लिए नियुक्त होंगे जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में उचित समझी जाए :

परंतु अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी अवधि के पश्चात् अपना पद धारण कर सकेंगे जब वह,—

(क) अध्यक्ष की दशा में जब वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं ; और

(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं ।

(2) (i) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह,-

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक है ;

(ii) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह -

(क) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है या रहा है और कम से कम तीन वर्ष के लिए उक्त सेवा के ग्रेड-1 में पद धारण किया हो ; या

(ख) कम से कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण किया हो ; या

(ग) किसी अधिकरण या सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है और प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून न रहा हो ; या

(घ) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में सिद्ध विशेषज्ञ अनुभव का कोई अधिवक्ता कम से कम दस वर्ष रहा हो ;

(iii) अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होंगे ;

(iv) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् ही नियुक्त होगा ;

(3) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित में सूचना देने के पश्चात् अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे :

परंतु अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पद को शीघ्रतर त्यागने की अनुज्ञा प्राप्ति तक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के पूरा होने तक या अपने पद पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् किसी व्यक्ति की नियुक्ति तक या अपने पद की अवधि की समाप्ति तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करना जारी रखेगा ।

(5) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात् जिसमें अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध किए गए आरोपों की सूचना दी गई हो तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश के सिवाय अपने पद से नहीं हटाया जाएगा ।

अध्याय 3

प्रतिलिप्यधिकार का त्यजन

4. धारा 21 के अधीन कृति के प्रतिलिप्यधिकार के सभी या किन्हीं अधिकारों की इच्छा करने वाला किसी कृति का लेखक रजिस्ट्रार को प्ररूप-1 में सूचना देगा या नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन जनता सूचना देगा ।

5. (1) प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रार राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर ऐसी सूचना रखेगा जिसे पब्लिक डोमिन में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए रखी जाएगी ।

(2) लेखक, सार्वजनिक सूचना द्वारा, नियम 5 के अधीन अधिकारों के त्यजन की सूचना देने में नीचे दिए गए निम्नलिखित ब्योरे सम्मिलित करेगा:-

(क) कार्यों का वर्ग (धारा 13 की उपधारा (1) में दिए गए) :
(ख) कृति का शीर्षक ;
(ग) लेखक का पूरा नाम पता और राष्ट्रीयता ;
(घ) कृति की भाषा ;
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता, यदि प्रकाशित है, प्रकाशन के वर्ष के और प्रथम प्रकाशन के देश के साथ ;
(च) यदि धारा 45 के अधीन कृति प्रतिलिप्यधिकार में रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकरण संख्या ;
(छ) अधिकार त्यजन किए जाने वाला/वाले ; और
(ज) अधिकारों के त्यजन की तारीख ।

(3) लेखक सार्जजनिक सूचना की प्रति, अपनी पहचान के सबूत के साथ रजिस्ट्रार को भेज सकेगा और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर उसे पोस्ट करेगा :

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "सार्वजनिक सूचना" पद से निम्न अभिप्रेत है -

(i) कृति या कृति के मुख्य पृष्ठ पर सूचना का उल्लेख ; या
(ii) किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रथम अंक में अंग्रेजी भाषा में और कृति की समान भाषा में किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रथम अंक में भी में प्रकाशन जो देश के अधिकांश भाग में प्रचालित हैं ;
(iii) उपनियम (2) के अधीन यथा अपेक्षित सभी ब्यौरे देकर लेखक के निवेदन पर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा ।

अध्याय 4
जनता से रोकी गई कृतियों में अनुज्ञप्ति अनिवार्य

6. **अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-** (1) धारा 31 के अधीन कृति के पुनः प्रकाशन के लिए या सार्वजनिक रूप से कृति को निष्पादित करने या प्रसारण द्वारा जनता को कृति को संसूचित करने को किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन प्ररूप 2 में किया जाएगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन केवल एक कृति के संबंध में करना होगा ।

(3) कृति के पुनः प्रकाशन के लिए या जनता में कृति को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक आवेदन पर्याप्त साक्ष्य को प्रदर्शित करने के साथ होगा कि प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने कार्य के पुनः प्रकाशन या उसके पुनः प्रकाशन को अनुज्ञात करने से या जनता में उस कृति के प्रस्तुतीकरण को अनुज्ञात करने से नामंजूर कर दिया है और ऐसी नामंजूरी के लिए कारण भी देगा ।
(4) प्रसारण द्वारा जनता में कृति की संसूचना के लिए प्रत्येक आवेदन कारणों या आधारों के पर्याप्त साक्ष्य के साथ होगा कि प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी ने,-
(क) प्रसारण द्वारा जनता को कृति की संसूचना ; या
(ख) ध्वन्यंकन की दशा में आवेदक के लिए अयुक्तियुक्त निबंधनों के विचार करने के आधार पर अनुज्ञात करने से मना कर दिया है ।

7. **आवेदन की सूचना-** (1) नियम 6 के अधीन आवेदन की प्रति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आधारित दस्तावेजों के साथ तामील करनी होगी ।

(2) बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी और आवेदक को और जहां तक व्यवहार्य हो कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भी सुनवाई करने का अवसर देगा तथा आवेदन के संबंध में ऐसे साक्ष्य लेगा जो वह उचित समझे ।

(3) बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदक के लिए लागू या यदि जहां एक से अधिक हों, बोर्ड की राय में आवेदकों को ऐसे जो साधारण जनता के हितों की उत्तम प्रकार से रक्षा करते हों अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश देगा ।

(4) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति धारा 31 में उपबंधित शर्तों के अधीन होगी जिसके अंतर्गत प्रतिकर या स्वामिस्व का संदाय भी है और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-

(क) अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ;

(ख) कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाले प्रतिकर का परिमाण या स्वामिस्व की दर; और

(ग) ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो बोर्ड द्वारा उचित समझी जाएं ।

(5) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति का संदाय यथासंभव शीघ्र राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी और अनुज्ञप्ति की प्रति संबद्ध अन्य पक्षकारों को भी भेजी जाएगी ।

8 .**प्रतिकर या स्वामिस्व के अवधारण की रीति**- बोर्ड धारा 31 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय या प्रतिकर या स्वामिस्व के परिमाण को अवधारित करेगा । बोर्ड, प्रतिकर या स्वामिस्व के अवधारण करने के दौरान निम्नलिखित को विचार में ले सकेगा .-

(i) कृति के पुनःप्रकाशन या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण की दशा में,-

(क) किसी कृति की प्रस्तावित फुटकर कीमत या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण की दर ;

(ख) कृति के प्रकाशन या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण के संबंध में स्वामिस्व की प्रचलित मानक ; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

(ii) प्रसारण द्वारा जनता को किसी कृति की संसूचना की दशा में,-

(क) समयावधि जिसमें प्रसारण होगा और विभिन्न समयावधियों के लिए विभिन्न दरें जिसके अंतर्गत पुनःप्रसारण भी है ;

(ख) कृतियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न दरें ;

(ग) ऐसी कृतियों के लिए इस संबंध में संदेय स्वामिस्व की प्रचलित दरें ; और

(घ) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

9. **अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार**- बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात् जहां तक व्यवहार्य हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी कृति के पुनःप्रकाशन या जनता में कृति के प्रस्तुतिकरण या प्रसारण द्वारा जनता को कृति की संसूचना अनुज्ञप्ति की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में पर्याप्त कारणों से असफल रहा है, ऐसी अवधि को विस्तारित कर सकेगा ।

10. **अनुज्ञप्ति का निरस्तरीकरण**-बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कृति के पुनः प्रकाशन या जनता में प्रति के प्रस्तुतीकरण या प्रसारण द्वारा जनता में कृति की संसूचना देने में असफल रहा है ;

(ख) कि किसी आवश्यक तथ्य के कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ; और

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

अध्याय 5

कृति या उसके अनुवाद का प्रकाशन या उसको जनता को संसूचित करने के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति

11. **अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-** (1) कृति या उसके अनुवाद को, किसी भी भाषा में, कोई अप्रकाशित प्रति या प्रकाशित कोई कृति या जनता में संसूचित और भारत में जनता के लिए रखी गई किसी कृति के जनता में प्रकाशन या उसको संसूचित करने को लेखक मृतक है या अज्ञात है या उसका पता नहीं हो सकता या ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी का पता नहीं है, प्ररूप 3 में कोई व्यक्ति धारा 31क के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन कर सकेगा और उसके साथ अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट फीस भी होगी:

परंतु वांछनीय लेखक की मृत्यु की दशा में कृति के प्रकाशन के लिए ऐसा आवेदन केवल तभी किया जा सकेगा यदि धारा 31क की उपधारा (6) में यथा उपबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृति के प्रकाशन में कोई असफलता है ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कार्य के संबंध में और किसी कृति के अनुवाद के संबंध में केवल एक भाषा के लिए होगा ।

(3) धारा 31क की उपधारा (7) के अधीन किसी आवेदन से भिन्न कोई आवेदन धारा 31क की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी समाचार पत्र के साथ होगा और देश के अधिकांश भागों में परिचालित अंग्रेजी भाषा में किसी दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में प्रकाशित होगा तथा जहां किसी भाषा में किसी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवेदन उक्त भाषा में किसी दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में होगा ।

(4) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है जनता में प्रकाशन या संसूचित करने या कार्य के किसी भाषा में अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति आवेदक को प्रदान करने के लिए लागू हो सकेगी या यदि जहां एक से अधिक आवेदक हैं तो बोर्ड की राय में ऐसे आवेदक जो साधारण जनता के हितों को अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकेगा, वह प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रार को तदनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश देगा ।

(5) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति धारा 31क की उपधारा (7) में उपबंधित शर्तों के अधीन होगी और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-

(क) अवधि जिसके भीतर ऐसी कृति का प्रकाशन, अनुवाद या जनता को संसूचना होगी ;

(ख) मूल्य जिस पर ऐसी कृति की प्रतियां जनता को विक्रय की जाएंगी या कृति को संसूचित करने के लिए प्रभारित होगी ;

(ग) जमा की जाने वाली स्वामिस्व की रकम और वह खाता जिसमें वह जमा होगी ;

(घ) कृति के अनुवाद की दशा में भाषा जिसमें वह अनुवाद किया जाएगा तथा प्रकाशित होगा ; और

(ङ) कृति के जनता में संसूचना की दशा में माध्यम जिसमें उसे जनता को संसूचित किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक ऐसी प्रदान की गई, अनुज्ञप्ति यथा संभव शीघ्र राजपत्र में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड के वेबसाइट पर अधिसूचित होगी तथा अनुज्ञप्ति की एक प्रति संबद्ध अन्य पक्षकारों को भी भेजी जाएगी।

12. **स्वामिस्व के अवधारण की रीति-** बोर्ड आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले स्वामिस्व की रकम को अवधारित करेगा । बोर्ड स्वामिस्व का जब अवधारण करेगा तो निम्नलिखित को विचार में लेगा,-

(क) ऐसी कृति के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक; और

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में विचार किए जा सकेंगे ।

13. **अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार**- बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी अनुवाद को प्रस्तुत करने या उसका प्रकाशन करने या पुनः प्रस्तुत करने या जनता में कृति को संसूचित करने में अनुज्ञप्ति की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में पर्याप्त कारणों से असफल रहा है ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ।

14. **अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण**-बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कृति को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने या कृति को जनता में संसूचित करने में असफल रहा है ;
(ख) कि किसी आवश्यक तथ्य के कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ; और
(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की किन्हीं निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

15. **अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए सूचना** - धारा 32ख की उपधारा (1) के परंतुक या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए सूचना प्ररूप 4 में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को तामील होगी ।

16. **मूल स्वामी की मृत्यु की दशा में किसी कृति के प्रकाशन के लिए सूचना**- केन्द्रीय सरकार यदि धारा 31 क की उपधारा (6) के अधीन किसी अनुरोध के करने का विनिश्चय करती है तो कृति के लेखक के उत्तराधिकारियों के निष्पादक या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा कृति के प्रकाशन के लिए छह माह की न्यूनतम अवधि और एक वर्ष की अधिकतम अवधि विनिर्दिष्ट करेगी ।

अध्याय 6
निःशक्त व्यक्ति के लाभ के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति

17. **अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन**- (1) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयोगी किसी रूप विधान में किसी कृति के प्रकाशन को धारा 31ख के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन प्ररूप 5 में किया जाएगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन केवल एक कृति के संबंध में करना होगा ।

18. **आवेदन की सूचना**- (1) नियम 17 के अधीन आवेदन की प्रति ऐसे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करनी होगी और यदि ऐसे प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी ज्ञात नहीं है या वह खोजा नहीं जा सकता तो आवेदन की प्रति प्रकाशक पर जिसका नाम ऐसी कृति पर दर्शित है रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा तामील होगी ।

(2) बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी और आवेदक और जहां तक संभव हो कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भी सुनवाई करने का अवसर देगा तथा आवेदन के संबंध में ऐसे साक्ष्य लेगा जो वह उचित समझे ।

(3) बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदक को प्रदान करने के लिए रूप विधान में आवेदन की जा सकेंगी या यदि जहां एक से अधिक आवेदक हों बोर्ड की राय में आवेदकों को ऐसे जो साधारण जनता के हितों को उत्तम प्रकार से रक्षा करते हों, अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश देगा ।

(4) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-
(क) अवधि, जिसके भीतर ऐसी कृति का प्रकाशन किया जाना होगा ;

(ख)माध्यम और रूप विधान जिसमें कृति को प्रस्तुत या प्रकाशन करना होगा ;

(ग) प्रतियों की संख्या जो तैयार की जानी हैं ;

(घ) ऐसी कृतियों की प्रतियों के संबंध में स्वामिस्व की दर जिसपर प्रतियां निःशक्त व्यक्तियों को विक्रय की जानी हैं, कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त की जानी है ; और

(ङ) व्यक्ति जिसको ऐसा स्वामिस्व संदत्त होगा ।

(5) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करना यथासंभव शीघ्र राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी और अनुज्ञप्ति की प्रति संबद्ध अन्य पक्षकारों को भी भेजी जाएगी ।

19. **स्वामिस्व के अवधारण की रीति**- बोर्ड, धारा 31ख की उपधारा (4) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामिस्व को संदेय या प्रतिकर के स्वामिस्व के परिमाण को अवधारित करेगा । बोर्ड, प्रतिकर या स्वामिस्व के अवधारण करने में निम्नलिखित को विचार में ले सकेगा ,-

(क) ऐसी कृति की किसी प्रति जिसे निःशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है, का प्रस्तावित मूल्य ;

(ख) ऐसी कृति के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानकों को विचार में लिया जाएगा ;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उनकी पहुंच योग्य रूप विधान बनाने में अंतवर्लित लागत ;

(घ) ऐसे अन्य विषय जो संबंधित हों बोर्ड द्वारा विचार में लिए जाएंगे ।

20. **अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार**- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात् जहां तक संभव हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कृति के प्रस्तुतिकरण या प्रकाशन करने से अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पर्याप्त कारणों से असफल रहा है ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ।

21. **अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण**-बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कृति के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशित करने में असफल रहा है ;

(ख) कि किसी आवश्यक तथ्य के कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ; और

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

(घ) प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी का समाधान हो जाता है कि उसी या कम कीमत पर समान रूप विधान में प्रकाशन द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की अपेक्षाओं का समाधान हो जाएगा जिसके लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ।

22. **अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना**- धारा 31ख की उपधारा (3) के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए सूचना प्ररूप 4 में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को तामील होगी ।

अध्याय 7
आवरण रूपांतरण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति

23. **आवरण रूपांतरण करने के लिए सूचना** - आवरण रूपांतरण करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति धारा 31ग की उपधारा (1) के अधीन किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कृति के संबंध में ध्वनि ध्वन्यंकन करने के लिए ऐसे आशय की कोई सूचना ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को और प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को ऐसा

आवरण रूपातरण करने के अग्रिम में कम से कम पंद्रह दिन पूर्व देगा और मूल साहित्यिक या नाटक या संगीत कार्य को प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना के साथ, आवरण रूपांतरण की सभी प्रतियों के लिए जो बनाई जाएगी, नियम 27 के अधीन इस संबंध में बोर्ड द्वारा अवधारित दरों पर न्यूनतम पचास हजार प्रतियों और यदि प्रतियों की संख्या अधिक हो, के संबंध में स्वामिस्व की रकम के साथ भेजेगा और सभी आवरण और नियमों की प्रतियों जिसके आवरण रूपांतरण विक्रय किए जाने हैं, उपलब्ध कराएगा :

परंतु किसी विशिष्ट भाषा या बोली जिसके लिए बोर्ड द्वारा साधारण आदेश से धारा 31 की उपधारा (4) के परंतुक के अनुसार कोई निम्न न्यूनतम नियत किया है , आवेदक बोर्ड द्वारा नियत निम्न न्यूनतम के और यदि संख्या अधिक है आवरण रूपांतरण की सभी प्रतियों के लिए स्वामिस्व का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि आवरण रूपांतरण करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कोई सूचना नियम 27 के अधीन बोर्ड द्वारा अवधारित स्वामिस्व के संदाय के पश्चात् देगा और राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित करेगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए "आवरण रूपांतरण" से धारा 31ग और इस नियम के अनुसरण में कोई ध्वनि ध्वन्यंकन अभिप्रेत है ।

(2) ऐसी सूचना में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात् :-

(क) कृति की विशिष्टतया जिसके संबंध में आवरण रूपांतरण तैयार किया गया है ;

(ख) परिवर्तन, यदि कोई हों, आवरण रूपांतरण के कार्य को ग्रहण करने के लिए बनाए गए प्रस्तावित हैं और ऐसे परिवर्तन करने के लिए कृति के लेखक के सहमति का साक्ष्य यदि अपेक्षित हो ;

(ग) कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का नाम पता और राष्ट्रीयता ;

(घ) कृति की पूर्व में की गई ध्वनि ध्वन्यंकन की विशिष्टियां

(ङ) आवरण रूपांतरण की प्रतियों की कुल संख्या और कैलेंडर वर्ष जिसमें ऐसा किया जाना प्रस्तावित है

(च) माध्यम जिसमें ध्वनि ध्वन्यंकन पूर्व में किया गया था और आवरण रूपांतरण किया जाना प्रस्तावित है ;

(छ) मूल्य जिसपर आवरण रूपांतरण विक्रय किया जाना प्रस्तावित है ; और

(ज) नियम 27 के अधीन इस संबंध में बोर्ड द्वारा यथा अवधारित संदत्त स्वामिस्व के अग्रिम संदाय के ब्यौरे

24. **शर्तें जिनका आवरण रूपांतरण करने में अनुपालन किया जाएगा** - (1) उत्पादनकर्ता जब आवरण रूपांतरण करेगा तो मूल साहित्य, नाटक या संगीत कृति की समग्रता बनाए रखेगा सिवाय उस सीमा तक जब कि आवरण रूपांतरण करने के प्रयोजन के लिए तकनीकी आवश्यकता हो ।

(2) आवरण रूपांतरण पैकेजिंग के किसी रूप में जारी नहीं होगा या किसी अन्य आवरण या लेबल जिसके अंतर्गत कोई लेबल या कार्टन या कोई जटित कार्ड या वेबसाइट भी है, जिसकी डिजाइन या रंग योजना या प्रदर्शन या सजाना मूल ध्वनि ध्वन्यंकन के समान हो जिससे जनता के लिए यह भ्रामक या भ्रम होने की संभावना हो कि यह मूल ध्वनि ध्वन्यंकन के समतुल्य रूप में है ।

(3) आवरण रूपांतरण मूल ध्वनांकन के लेबल का उपयोग नहीं करेगा और इस कवर पर बड़े अक्षरों में यह कथित होगा कि यह धारा 31ग के अधीन बनाया गया आवरण रूपांतरण है ।

(4) आवरण रूपांतरण में प्रमुख रूप से प्रस्तुतकर्ता का नाम प्रदर्शित होगा और समान कार्य या कोई अन्य चलचित्र फिल्म में जिसमें ऐसे ध्वनि ध्वन्यंकन को सम्मिलित किया गया था कि किसी पूर्व में ध्वनि ध्वन्यंकन के किसी प्रस्तुतकर्ता का किसी भी रूप में नाम या चित्रित नहीं होगा ।

25. **आवरण रूपांतरण की अतिरिक्त प्रतियां बनाने के लिए सूचना**- कोई व्यक्ति जिसे सूचना देने के पश्चात् धारा 31ग के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति के अधीन आवरण रूपांतरण तैयार किया है या धारा 31ग के अधीन आवरण रूपांतरण तैयार करने के लिए उसे सूचना दी गई है जिसके लिए अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रतियां तैयार करने का आशय है या नियम 23 के अधीन नई अग्रिम सूचना आवरण रूपांतरण तैयार करने के लिए जारी रहने की इच्छा की गई है और सभी शर्तों का अनुपालन जिसके अंतर्गत नियम 27 के अधीन इस संबंध में बोर्ड द्वारा अवधारित अग्रिम स्वामिस्व का संदाय भी है ।

26. **अभिलेखों का अभिरक्षण**- (1) आवरण रूपांतरण तैयार करने वाला व्यक्ति अपने कारबार के प्रमुख स्थान पर आन-लाइन डाउनलोड द्वारा विक्रय की दशा के सिवाय, एक रजिस्टर जिसमें तैयार की गई, विक्रय की गईं प्रतियों की कुल संख्या स्टाक में शेष प्रतियों की संख्या के ब्यौरे रखेगा ।

(2) ऐसा आवरण रूपांतरण करने वाला व्यक्ति लेखा की पृथक पुस्तकें रखेगा जिसमें ऐसे आवरण रूपांतरण की प्रतियों के विक्रय से व्युत्पन्न कुल आय के साथ खर्चों के विभिन्न शीर्षों के अधीन आवरण रूपांतरण करने में हुए कुल व्ययों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) आवरण रूपांतरण करने वाला व्यक्ति कारबार के प्रमुख स्थान में अभिलेख, रजिस्टर और लेखा की पुस्तकें रखेगा जो अधिकार के स्वामी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या इस निमित्त उसके प्रतिनिधि को ऐसे आवरण रूपांतरण करने वाले व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा से कारबार घंटों के दौरान खुले रखेगा और यदि आवश्यकता हो तो वे अपने स्वयं के खर्चे पर संबंधित सार की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे ।

27. **स्वामिस्व के अवधारण की रीति**- (1) बोर्ड अपने गठन के पश्चात् स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से किसी आवेदन की प्राप्ति पर धारा 31ग के अधीन आवरण रूपांतरण तैयार करने के लिए स्वामिस्व को नियत करने के अपने आशय की लोक सूचना देगा और उसके अवधारण के लिए सुझाव आमंत्रित कर सकेगा ।

(2) बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन सूचना राजपत्र में और समान रूप से दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका परिचालन देश के अधिकांश भागों में होता है दो दैनिक समाचार पत्रों में तथा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर समान रूप से पुनर्प्रकाशित करेगा ।

(3) प्रतिलिप्यधिकार का कोई स्वामी या आवरण रूपांतरण तैयार करने के कारबार में अंतर्वलित कोई व्यक्ति या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर स्वामिस्व की दर के रूप में पर्याप्त साक्ष्य के साथ सुझाव जिसके अंतर्गत विभिन्न कृतियों, भाषाओं, मीडिया और रूप विधान के लिए विभिन्न दरें भी हैं, दे सकेगा ।

(4) बोर्ड, उपनियम (3) के अधीन संबंधित सुझावों पर जो उसे किए जाएंगे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे सुझावों पर विचार करेगा जिन्हें वह उचित समझे ।

(5) बोर्ड सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से दो मास के भीतर धारा 31ग की उपधारा (2) के अधीन स्वामी को संदेय स्वामित्व का अवधारण करेगा । बोर्ड जब स्वामिस्व का अवधारण करेगा तो निम्नलिखित का बातों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

(क) पूर्वतर ध्वनि ध्वन्यंकन की फुटकर कीमत ;

(ख) साहित्यिक, नाटकीय या ऐसे ध्वनि ध्वन्यंकन करने के लिए संगीत कृति के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक ;

(ग) कृति, भाषा, रूप विधान और माध्यम की प्रकृति और वर्ग जिसमें इन्हें विक्रय किया जाना है ;

(घ) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य विषय जिन्हें वह सुसंगत समझे, विचार कर सकेगा ।

(6) बोर्ड इस नियम के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए, एक वर्ष में कम से कम एक बार स्वामिस्व की दरें आवधिक रूप से पुनरीक्षित कर सकेगा ।

28. **स्वामिस्व के असंदाय के संबंध में शिकायत-** (1) किसी साहित्यिक, नाटक या संगीत कृति जिसके अंतर्गत मूल ध्वनि ध्वन्यंकन भी है, में किसी प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी आवरण रूपांतरण करने के तात्पर्यित के संबंध में, बोर्ड द्वारा यथा अवधारित पूर्ण स्वामिस्व के असंदाय की दशा में शिकायत कर सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का प्रथम दृष्टया शिकायत की वास्तविकता का समाधान हो जाता है, वह आवरण रूपांतरण बनाने वाले व्यक्ति को और प्रतियां बनाने से विरत करने का निदेश देने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात् जिन्हें वह आवश्यक समझे किसी साहित्यिक, नाटक या संगीत कृति जिसके अंतर्गत मूल ध्वनि ध्वन्यंकन भी है में किसी प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे और आदेश करेगा जिसे वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत स्वामिस्व के संदाय के लिए कोई आदेश भी है ।

अध्याय 8
साहित्यिक और संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति

29. **साहित्यिक और संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन की जनता को संसूचना के लिए स्वामी को सूचना-** (1) कोई प्रसारण संगठन धारा 31घ की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशित साहित्यिक और संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन के प्रसारण के द्वारा या प्रस्तुतीकरण के द्वारा जनता को संसूचित करने की वांछा रखता है, अपने इस आशय की सूचना और साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन या उसका कोई संयोजन के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी और प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रार को जनता को ऐसी संसूचना के अग्रिम पांच दिनों की अवधि के पहले सूचना देगा और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को इस संबंध में बोर्ड द्वारा नियत दर पर सम्यक् स्वामिस्व की रकम का संदाय करेगा :

परंतु किसी नई प्रकाशित साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन या उसका कोई संयोजन के प्रसारण द्वारा या प्रस्तुतिकरण द्वारा जनता को संसूचित करने की दशा में जिसे ऐसी संसूचना के अग्रिम पांच दिनों की अवधि के पहले प्रकाशित करेगा और जो अनुसूचित कार्यक्रमों का भाग नहीं है जनता को ऐसी संसूचना के पहले सूचना देगा :

परंतु यह और कि किसी प्रकाशित साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन या उसके किसी संयोजन के प्रसारण द्वारा या प्रस्तुतीकरण द्वारा जनता को संसूचित करने की दशा में, अकल्पित परिस्थितियों में जनता को ऐसी संसूचना चौबीस घंटे के भीतर देगा :

परंतु यह और भी कि कोई प्रसारण संगठन इस अध्याय के अधीन नियम 31 के अधीन बोर्ड द्वारा अवधारित स्वामिस्व का संदाय कर देता है, के पश्चात् इस अध्याय के अधीन सूचना देगा और उसे राजपत्र में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी ।

(2) प्रत्येक ऐसी सूचना संबंधित कृति के केवल एक स्वामी को देनी होगी ।

(3) जनता को संसूचित करने के लिए पृथक सूचनाएं रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण या साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन जिसे पहले से ही प्रकाशित किया जा चुका है, के प्रस्तुतीकरण के द्वारा जनता को संसूचित करना होगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन सूचना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात्:-

(क) चैनल का नाम ;

(ख) क्षेत्रीय विस्तार जहां रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुतीकरण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित किया जा रहा है ;

(ग) कृति की पहचान के आवश्यक ब्यौरे जिसे रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुतीकरण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित करने का प्रस्ताव है ।

(घ) ऐसी कृति के प्रकाशन का वर्ष यदि कोई हो।

(ङ) ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता ;

(च) ऐसी कृति के लेखक का नाम और मुख्य प्रस्तुतकर्ता ;

(छ) परिवर्तन, यदि कोई हों, जिसे रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या कार्य के प्रस्तुतीकरण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उनके कारण और अधिकारों के स्वामियों की सहमति का साक्ष्य ऐसे परिवर्तन करने के लिए यदि अपेक्षित हों ।

(ज) जनता को प्रस्तावित सूचना का ढंग जैसे रेडियो, टेलिविजन या प्रस्तुतीकरण ;

(झ) कार्यक्रम का नाम जिसमें कृति को सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो ;

(ञ) समयावधि, कार्यक्रम की कालावधि और अवधि जिसमें कृति को सम्मिलित किया जाना है, के ब्यौरे ।

(ट) बोर्ड द्वारा नियत दर पर स्वामिस्व के संदाय के ब्यौरे ; और

(ठ)स्थान का पता जहां अभिलेख और लेखा पुस्तकें, अधिकार के स्वामियों द्वारा निरीक्षण के लिए अनुरक्षित होंगी ।

30. **अभिलेखों की अभिरक्षा**- (1) प्रसारण कृतियों की कुल संख्या के संबंध में स्वामियों के ब्यौरों के अभिलेख ऐसे कृतियों के ब्यौरे और प्रसारण की समयावधि, कालावधि और अवधि प्रसारण संस्थान द्वारा उसके कारबार के प्रमुख स्थान पर अनुरक्षित होगी अधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा पूर्व सूचना पर कारबार के घंटे के दौरान उपलब्ध होगी तथा अपनी लागत पर ऐसे अभिलेखों से संबंधित सार की प्रतियां ले सकेगा । प्रसारण संगठन रेडियो प्रसारण और टेलिविजन प्रसारण के लिए पृथक अभिलेख रखेगा ।

(2) प्रसारण संस्थान, प्रसारण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित करने के लिए लेखों की पृथक पुस्तकें रखेगा जिसमें स्वामिस्व की दर अवधारित करते समय बोर्ड द्वारा ऐसे ब्यौरे होंगे और अधिकार के स्वामी को ऐसी रिपोर्ट और लेखों को देगा ।

31. **स्वामिस्व के अवधारण की रीति**- (1) बोर्ड अपने गठन के पश्चात् स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से किसी अनुरोध की प्राप्ति पर धारा 31घ के अधीन साहित्यक या संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन को जनता में संसूचित करने के लिए स्वामिस्व नियत करने के अपने आशय की सार्वजनिक सूचना देगा और ऐसी उसके अवधारण के लिए सुझाव आमंत्रित कर सकेगा । ऐसी सूचना रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए पृथक देनी होगी ।

(2) बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन सूचना राजपत्र में और समान रूप से दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका परिचालन देश के अधिकांश भागों में होता है, दो दैनिक समाचार पत्रों में तथा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर रखेगा ।

(3) प्रतिलिप्यधिकार का कोई स्वामी या कोई प्रसारण संगठन या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर स्वामिस्व की दर के रूप में पर्याप्त साक्ष्य के साथ सुझाव जिसके अंतर्गत विभिन्न कृतियों, और रूप विधानों के लिए विभिन्न दरें भी हैं, दे सकेगा ।

(4) बोर्ड, उपनियम (3) के अधीन संबंधित सुझावों पर, जो उसे किए जाएंगे, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे सुझावों पर विचार करेगा जिन्हें वह उचित समझे ।

(5) बोर्ड सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से दो मास के भीतर क्रमशः रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए साहित्यिक या संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन के स्वामी को संदेय स्वामिस्व की पृथक-पृथक दरें अवधारित करेगा ।

(6) बोर्ड क्रमशः रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए धारा 31घ की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय स्वामित्व का अवधारण करेगा ।

(7) बोर्ड जब स्वामित्व का अवधारण करेगा तो निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(क) समयावधि जिसमें प्रसारण होता है और विभिन्न समयावधियों के लिए विभिन्न दरें जिसके अंतर्गत पुनः प्रसारण भी है, कृतियों के वर्गों के लिए विभिन्न दरें ;
(ख) कृतियों के उपयोग की विभिन्न प्रकृति के लिए विभिन्न दरें ;
(घ) ऐसी कृतियों की बाबत रोयलटियों के विद्यमान मानक ;
(ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसारण कर्ता के बीच फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन (एफएम) रेडियो प्रसारण सेवा के प्रचालन के लिए अनुज्ञा प्रदान करार (जीओपीए) में सम्मिलित निबंधन और शर्तें ; और
(च) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाए ।

(8) बोर्ड, उप नियम (5) के अधीन रोयलटियों का संदाय अवधारित करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा, अर्थात् :-
(क) अनुसूचित कार्यक्रमों में सम्मिलित कृतियां ;
(ख) नई प्रकाशित और अनुसूचित कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई कृतियां ;
(ग) अप्रत्याशित परिस्थितियों में जनता को संसूचित की गई कृतियां ; और
(घ) नोटिस में उल्लिखित के अतिरिक्त कालावधि, विभिन्न समय सीमाओं या क्षेत्रीय विस्तार से अधिक में कृतियों का उपयोग ।
(9) बोर्ड, इन नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कालिकतः, वर्ष में कम से कम एक बार रोयलटियों की दरों को पुनरीक्षित कर सकेगा ।

अध्याय 9
अनुवादों के लिए अनुज्ञप्ति

32. **अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन.**- (1) किसी साहित्यिक या नाट्य कृति का किसी भी भाषा में अनुवाद तैयार और प्रकाशित करने के लिए धारा 32 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप 6 में किया जाएगा और उसके साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कृति के संबंध में और उस कृति के केवल एक भाषा में अनुवाद के लिए होगा ।

33. **आवेदन की सूचना.**- (1) जब ऐसा कोई आवेदन किया गया है तो बोर्ड, यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में और यदि बोर्ड उचित समझे तो एक या दो समाचार पत्रों में आवेदन की सूचना देगा और जहां कहीं साध्य हों, सूचना की एक प्रति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को भेजेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(क) आवेदन की तारीख ;
(ख) आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता ;
(ग) उस कृति की विशिष्टियां जिसका अनुवाद किया जाना है ;
(घ) कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख और देश ;
(ङ) आवेदन में यथा कथित प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता ;

(च) वह भाषा जिसमें कृति का अनुवाद किया जाना है ; और

(छ) प्रतिलिप्यधिकार अधिकार रजिस्टर में कृति की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई हो ।

34. आवेदन पर विचार किया जाना.- (1) बोर्ड, आवेदन की राजपत्र में सूचना की तारीख से एक सौ बीस से अन्यून दिनों के अवसान के पश्चात् आवेदन पर विचार करेगा ।

(2) बोर्ड, आवेदक को, और जहां कहीं साध्य हो, कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर देगा और आवेदन के संबंध में ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो वह उचित समझे ।

(3) यदि प्रथम आवेदन प्राप्त होने की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिन के पश्चात् बोर्ड के समक्ष कृति के उसी भाषा में अनुवाद के लिए एक से अधिक आवेदन लंबित है तो ऐसे सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा ।

(4) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को या, यदि एक से अधिक आवेदक है तो ऐसे किसी एक आवेदक को, जो बोर्ड की राय में जन साधारण के हितों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम हों, आवेदित भाषा में कृति का अनुवाद करने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए तो वह तद्नुसार अनुज्ञप्ति प्रदान कर देगा ।

(5) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति रोयलटियों के संदाय से संबंधित धारा 32 की उपधारा (4) में उपबंधित शर्त के अध्यधीन होगी और उसमें निम्निलिखित विनिर्दिष्ट होंगे :-

(क) वह अवधि जिसके भीतर अनुवाद तैयार और प्रकाशित किया जाएगा ;

(ख) वह भाषा जिसमें अनुवाद तैयार और प्रकाशित किया जाएगा ;

(ग) वह दर जिस पर जनता को बेची गई कृति के अनुवाद की प्रतियों के संबंध में कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रोयलटियां संदत्त की जाएंगी ; और

(घ) वह/वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी रोयलटियां संदेय होंगी ।

(6) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति की मंजूरी को यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में और ऐसे समाचार पत्रों में, यदि कोई हों, जिसमें नियम 33 के अधीन सूचना प्रकाशित की गई थी, अधिसूचित किया जाएगा और अनुज्ञप्ति की एक प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजी जाएगी तथा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की शासकीय वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

35. रोयलटियां अवधारित करने की रीति.- बोर्ड, धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय रोयलटियां अवधारित करेगा । बोर्ड, रोयलटी अवधारित करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा,- अर्थात् :-

(क) कृति के अनुवाद की एक प्रति की प्रस्तावित खुदरा कीमत ;

(ख) कृति के अनुवाद की बाबत रोयलटियों के विद्यमान मानक ; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाए ।

36. अनुज्ञप्ति की अवधि का बढ़ाया जाना.- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात्, जहां कहीं साध्य हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त कारणों से अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुवाद तैयार और प्रकाशित करने में असमर्थ रहा था, ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगा ।

37. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण.- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर बढ़ाए गए समय के भीतर अनुवाद को तैयार और प्रकाशित करने में असफल हो गया है ;

(ख) कि अनुज्ञप्ति किसी भी आवश्यक तथ्य के बारे में कपट या दुरूपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ; और

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया है ।

अध्याय 10
कृति का प्रकाशन, अनुवाद और प्रतिकृति तैयार करने के लिए अनुज्ञप्ति

38. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन.- (1) धारा 32 की उपधारा (1क) और धारा 32क के अधीन किसी कृति को प्रकाशित करने या उसका किसी भी भाषा में अनुवाद करने या किसी प्रकाशित कृति की प्रतिकृति तैयार करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप VII में किया जाएगा और उसके साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कृति के संबंध में और किसी कृति के केवल एक भाषा के अनुवाद के संबंध में होगा ।

39. आवेदन की सूचना.- (1) ऐसे आवेदन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को तामील की जाएगी ।

(2) बोर्ड, आवेदक बनने के लिए और जहां कहीं साध्य हो, कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर देगा और आवेदन के बारे में ऐसा साक्ष्य ले सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(3) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि कृति के किसी भाषा में अनुवाद के लिए या कृति को पुनः तैयार करने के लिए आवेदन पर, आवेदक को, या जहां एक से अधिक आवेदक हों, वहां आवेदकों में से ऐसे आवेदक को, जो बोर्ड की राय में जन साधारण के हित के लिए सर्वोत्तम होगा, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, तो वह दो माह की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान कर देगा ।

(4) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति रोयल्टियों के संदाय के संबंध में अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के खंड (i) और धारा 32क की उपधारा (4) के खंड (i) में उपबंधित शर्तों के अध्यधीन होगी और उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

(क) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी कृति प्रकाशित की जाएगी ;

(ख) वह दर, जिस पर जनता को बेची गई कृति के अनुवाद की प्रतियों के संबंध में कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को को रोयलटियां संदत्त की जाएंगी ; और

(ग)कृति के अनुवाद की दशा में वह भाषा जिसमें अनुवाद तैयार और प्रकाशित किया जाएगा ;

(घ) वह/वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी रोयलटियां संदेय होंगी ।

(5) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने को यथाशीघ्र राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा और अनुज्ञप्ति की एक प्रति संबंधित अन्य पक्षकारों को भेजी जाएगी ।

40. **रोयलटियां अवधारित करने की रीति.**- बोर्ड, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के खंड (i) और धारा 32क की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय रोयलटियां अवधारित करेगा । बोर्ड, रोयलटियां अवधारित करते समय निम्नलिखित पर विचार कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी कृति की प्रति की प्रस्तावित खुदरा कीमत ;
(ख) ऐसी कृति की बाबत रोयलटियों के विद्यमान मानक ;
(ग) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

41. **अनुज्ञप्ति की अवधि को बढ़ाना.**- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और, जहां कहीं साध्य हों, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृति को तैयार करने और अनुवाद प्रकाशित करने या उसके प्रकाशन या प्रतिकृति तैयार करने के लिए पर्याप्त कारणों से असमर्थ रहा था तो वह ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगा ।

42. **अनुज्ञप्ति का रद्दकरण.**- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर बढ़ाए गए समय के भीतर अनुवाद को तैयार और प्रकाशित करने में असफल हो गया है ;
(ख) कि अनुज्ञप्ति किसी भी आवश्यक तथ्य के बारे में कपट या दुरूपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ; और
(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया है ।

43. **अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना.**- प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा धारा 32ख की उपधारा (1) के परंतुक या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को इन नियमों से उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के प्ररूप IV में तामील की जाएगी ।

अध्याय 11
प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियां

44. **प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की शर्तें :-**

(1) सात या अधिक लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) से मिलकर बना स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्तियों का कोई संगम जो कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय की बाबत अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने के कारबार को चलाने के प्रयोजन के लिए बना है, ऐसे कारबार को चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए और उसके किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप VII में एक आवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार धारा 33 की उपधारा (3क) के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी ।

(2) नियम 44 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन पर अध्यक्ष, सोसाइटी के प्रशासन के प्रयोजन के लिए लेखकों और अधिकार के अन्य स्वामियों, यदि कोई हों, की बराबर संख्या से मिलकर बनी सोसाइटी के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों की ऐसी संख्या सहित शासी परिषद् (जो किसी भी नाम से ज्ञात हो) के सभी सदस्यों द्वारा और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जिसका सदस्य होना आवश्यक नहीं है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(3) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में सम्मिलित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने का कारबार केवल अधिनियम की धारा 33 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी प्रतिलिप्यधिकारी सोसाइटी के माध्यम से ही किया जाएगा ।

45. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की सदस्यता.- प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की सदस्यता सभी लेखकों और कृतियों के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में, जिनमें यह रजिस्ट्रीकृत है, के किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के अन्य स्वामियों के लिए खुली होगी ।

46. प्रतिलिप्यधिकार कारबार चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें.- (1) नियम 44 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक -

(i) वह लिखत जिसके द्वारा आवेदक स्थापित या निगमित किया गया है, उस पर केवल कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय और उसके आनुषंगिक अन्य क्रियाकलापों के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने के कारबार करने की उस पर प्रतिबद्धता सृष्ट नहीं कर देता है ; और

(ii) आवेदक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के पालन के लिए रजामंद नहीं है ।

(2) आवेदक उप अनुज्ञप्ति की रीति से या कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में रोयलटियों के संग्रहण और वितरण के अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति या प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अंतरण करके कारबार नहीं करेगा :

परंतु आवेदक अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक द्वारा प्रशासित अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के तत्स्थानी अधिकारों का प्रशासन करने वाली किसी विदेशी सोसाइटी या संगठन के साथ किसी अन्य देश में आवेदक द्वारा प्रशासित अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के प्रशासन या ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन द्वारा किसी अन्य देश में प्रशासित अधिकारों का भारत में प्रशासन करने के लिए ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन को न्यस्त करने का करार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए लिखत से संगम का ज्ञापन और अनुच्छेद अभिप्रेत है ।

47. विद्यमान प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के पुनः रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन और शर्तें.- (1) धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में कारबार करने की वांछा करने वाली प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को प्ररूप IX में आवेदन करेगी ।

(2) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके रजिस्ट्रीकरण के अवसान के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी । ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप IX में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को इसका कारबार निरंतर करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए

केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कामकाज पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण कर सकेगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में आवेदक साधारण निकाय द्वारा पारित ऐसी घोषणा वाले संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करेगा कि पूर्व लेखा वर्ष तक संगृहीत सभी रोयलटियां सभी पहुंच वाले सदस्यों में वितरित कर दी गई है और इस बाबत कोई शिकायत लंबित नहीं है ।

(4) पुनः रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में आवेदक इसके अध्यक्ष सहित शासी परिषद् के पुनः निर्वाचन को उपदर्शित करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।

48. **आवेदनों के साथ दस्तावेज.**- नियम 44 और नियम 47 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे -

(क) उस लिखत की एक सत्य प्रति जिसके द्वारा आवेदक को स्थापित या निगमित किया गया है ;
(ख) आवेदन में नामित व्यष्टियों की, आवेदक की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए लिखित में सहमति ;
(ग) ऐसी घोषणा, जिसमें आवेदक के उद्देश्य, वे निकाय जिनके माध्यम से यह कार्य करेगी और लेखा और संपरीक्षा के लिए इंतजाम अंतर्विष्ट हो ;
(घ) इस आशय का वचनबंध कि उस लिखत में, जिसके द्वारा आवेदक स्थापित या निगमित किया गया है, अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अनुरूप ही उपबंध है ;
(ङ) लेखकों और स्वामियों के रजिस्टर की एक प्रति जिसमें लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों की सूची, उनके नाम और पते हों ;
(च) नियम 47 के अधीन किए गए आवेदन की दशा में उन परिवर्तनों, यदि कोई हों, के बारे में कथन, जो लिखत में अंतिम साधारण निकाय के पश्चात् किए गए हों ; और
(छ) नियम 47 के अधीन किए गए आवेदन की दशा में साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित इस अध्याय में यथा उल्लिखित विभिन्न स्कीमों की प्रतियां ।

49. **प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें.**- (1) जब रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार से इसकी प्राप्ति की तारीख से छः दिन की अवधि के भीतर या तो आवेदक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर सकेगी या यदि -

(i) आवेदक के पास उसके कारबार को चलाने के लिए वृत्तिक सक्षमता नहीं है या इस के कामकाज को चलाने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं है ; या

(ii) कृतियों के विशेष प्रवर्ग में उसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय को प्रशासित करने के लिए अधिनियम के अधीन दूसरी रजिस्ट्रीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी विद्यमान है और जो ठीक प्रकार कार्य कर रही है ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आवेदक के सदस्य सद्भाविक प्रतिलिप्यधिकार लेखक या अन्य स्वामी नहीं है या उन्होंने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और आवेदक को स्थापित करने वाले लिखत पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर नहीं किए है ; या

(iv) आवेदन को किसी भी रूप में अपूर्ण पाया जाता है,

तो वह आवेदन को नामंजूर कर देगी :

परंतु ऐसा कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित प्ररूप X में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथाविनिर्दिष्ट इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस नाम से अनुज्ञात प्रतिलिप्यधिकार कारबार को प्रारंभ करने और चलाने के लिए हकदार होगी जिसके द्वारा इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है और आबेदक -

(क) अपने कार्यकलापों से संबंधित सभी सूचनाएं देने वाली स्वयं की वेबसाइट रखेगा ; और

(ख) समुचित अवसंरचना रखेगा जैसे कार्यालय भवन और प्रबंध के लिए आवश्यक पदधारी जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अनुज्ञप्ति अधिकारी, विधि अधिकारी और लेखाकार और रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करने के समय नियुक्त अन्य अपेक्षित कर्मचारी ।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी केवल उन कृतियों के विशेष प्रवर्ग में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में ही अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने का कारबार करेगी जिनके लिए यह रजिस्ट्रीकृत की गई है और उन कृतियों में या अन्य कृतियों के विशेष प्रवर्गों में किसी अन्य अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान नहीं करेगी जिसके लिए इसे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ।

50. जांच का आदेश, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन और प्रशासक की नियुक्ति.- (1) यदि केन्द्रीय सरकार के पास प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के किसी सदस्य की शिकायत पर यह विश्वास करने का कारण है कि प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबंध इसके संबंधित सदस्यों के हितों के लिए अहितकर रीति में किया गया है या अधिनियम की धारा 33क, धारा 35 की उपधारा (3) और धारा 36 की अपेक्षाओं का अननुपालन किया गया है या इसे पूर्व सूचना दिए बिना उस लिखत में कोई परिवर्तन किया गया है जिसके द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या निगमित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो वह सोसाइटी को शिकायत की एक प्रति देगी और सोसाइटी के पन्द्रह कार्यदिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।

(2) यदि सोसाइटी द्वारा दिए गए लिखित कथन पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है तो :-

(क) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन अभिकथनों के जांच का आदेश करेगी और जांच करने के लिए भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी जांच अधिकारी को नियुक्त करेगी । जांच के दौरान यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि संबंधित सदस्यों के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी प्रशासक की नियुक्ति करेगी ; या

(ख) संबंधित सदस्यों के हित में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी और खंड (क) के अनुसार जांच का आदेश भी कर सकेगी ।

(3) प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार मामलों के प्रशासन या लेखों में पर्याप्त अनुभव वाला कोई व्यक्ति होगा ।

51. **जांच करने के लिए प्रक्रिया.**- (1) नियम 50 के अधीन नियुक्ति जांच अधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखतें हुए जांच करेगा ।

(2) जांच अधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट को या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय में के किसी संपरीक्षा अधिकारी को या किसी विधिक, वित्तीय, प्रतिलिप्यधिकार परामर्शी को जांच में उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(3) संबंधित प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, जांच अधिकारी को तीन मास की अवधि या ऐसे और समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किया जाए, जांच पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए सभी सहायता देगी और ऐसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी जो जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाए ।

52. **प्रशासक की शक्तियां और कृत्य.**- (1) अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (5) के साथ पठित नियम 50 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति पर प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की सभी शक्तियां उसमें निहित हो जाएंगी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की साधारण निकाय से भिन्न अन्य सभी प्रतिनिधि निकायों और समितियों का विघटन हो जाएगा ।

(2) प्रशासक, निलंबन की अवधि के अवसान से पूर्व विघटित निकायों के पुनर्गठन का इंतजाम करेगा जिसमें असफल रहने पर इस प्रकार अतिष्ठित निकाय निलंबन की अवधि की समाप्ति पर निलंबन की अवधि को छोड़कर उनकी शेष अवधि के लिए पुनः प्रवर्तित हो जाएंगी ।

53. **प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.**- केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकेगा, यदि -

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं विशिष्टियों को किसी भी समय असत्य या गलत और किसी भी रीति में भ्रामक पाया जाए ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि -

(i) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी जांच अधिकारी से सहयोग करने में असफल रही है ; या

(ii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतें सत्य पाई गई है ; या

(iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबंध संबंधित सदस्यों के हितों के प्रति हानिकर रीति में किया गया है ; या

(iv) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके कामकाज का समुचित रूप से प्रबंध करने में लगातार असफल रही है ; या

(v) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी स्कीम के अनुसार रोयलटियों का वितरण करने में असफल रही है ; या

(vi) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी समुचित रूप से अपने लेखों को रखने और उनकी संपरीक्षा कराने में असफल रही है ; या

(vii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ने लिखत में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी निधियों का उपयोग किया है ; या

(ग) सोसाइटी ने निम्नलिखित का अनुपालन नहीं किया है -

(i) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा टैरिफ स्कीम के प्रकाशन की बाबत अधिनियम की धारा 33क ; या

(ii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की शासी परिषद् में नियम 44 में यथाविनिर्दिष्ट लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों के बराबर प्रतिनिधित्व की बाबत अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) ; या

(iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाबत अधिनियम की धारा 36 ; या

(iv) रोयलटी के संग्रहण और वितरण के लिए लेखकों और अधिकार के अन्य स्वामियों का अनुमोदन अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया ; या

(घ) सोसाइटी कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में ऐसे अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी और प्रदान कर रही है जिसके लिए वह रजिस्टर नहीं है ।

54. वे शर्तें जिनके अध्यधीन कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्राधिकार स्वीकार कर सकेगी और कोई लेखक या अधिकारों का अन्य स्वामी ऐसे प्राधिकार को प्रत्याहृत कर सकेगा.- (1) कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ऐसी कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में, जिसके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, अधिकार या अधिकारों के समुच्चय को प्रशासित करने के लिए किसी लेखक या अधिकार के अन्य स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता से अनन्य प्राधिकार उस दशा में स्वीकार कर सकेगी यदि ऐसे लेखक या अन्य स्वामी या ऐसे अभिकर्ता ने प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के साथ प्रशासित किए जाने वाले अधिकारों, वह कालावधि जिसके लिए ऐसे अधिकार का प्रशासित किए जाने प्राधिकृत हैं, रोयलटी की सहमत मात्रा और वह आवर्ती जिस पर प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा इसकी टैरिफ और वितरण स्कीम के अनुसार ऐसी रोयलटी संदत्त की जानी है, को विनिर्दिष्ट करने वाला लिखित में करार किया है :

परंतु किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति की दशा में किसी सिनेमाघर में चलचित्र फिल्म सहित कृति की संसूचना से भिन्न रोयलटी का हिस्सा, यथास्थिति, कृति के लेखक और फिल्म के स्वामी या ध्वन्यंकन के बीच बराबर आधार पर होगा ।

(2) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी संगृहीत रोयलटियों के लेखक या अधिकारों के अन्य स्वामी को वितरण के लिए कोई शर्त अधिरोपित नहीं करेगी ।

(3) लेखक या अधिकारों का अन्य स्वामी, करार के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और साठ दिन की पूर्व सूचना के अधीन रहते हुए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा करार में अधिरोपित इसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहने की दशा में ऐसा प्राधिकार प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(4) चलचित्र फिल्म में, किसी सिनेमाघर में चलचित्र फिल्म के उपयोग के लिए प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ बराबर हिस्से के आधार पर चलचित्र फिल्म में सम्मिलित किसी साहित्यिक और संगीतात्मक कृति के लिए रोयलटी प्राप्त करने का अधिकार उस सोसाइटी से भिन्न किसी अन्य प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को समनुदेशित नहीं किया जाएगा जिसके लिए इसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है ।

(5) ऐसे ध्वन्यंकन में सम्मिलित किसी साहित्यक या संगीतात्मक कृति के लिए जो किसी चलचित्र फिल्म का भाग नहीं है, प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ ऐसी कृतियों के किसी उपयोग के बराबर हिस्से के आधार पर रोयलटी प्राप्त करने का अधिकार उस सोसाइटी से भिन्न किसी अन्य प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को समनुदेशित नहीं किया जाएगा जिसके लिए इसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है ।

55. वे शर्तें जिनके अध्यधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी, रोयलटियों का संग्रहण और ऐसी रोयलटियों का वितरण कर सकेगी.- (1) कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी और कृतियों के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में जिसके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, अधिकार या अधिकारों के

समुच्चय के संबंध में टैरिफ स्कीम के अनुसार रोयलटियों का संग्रहण कर सकेगी क्योंकि उस अवधि के लिए जिसके लिए उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, सदस्यों द्वारा लिखित में प्रशासित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(2) इस प्रकार संगृहीत रोयलटी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा उपगत प्रशासनिक खर्चों के लिए कुल वार्षिक संग्रहण की पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक कटौती और नियम 71 के अधीन कल्याण स्कीम के लिए पांच प्रतिशत से अनधिक की और कटौती के अधीन रहते हुए वितरण स्कीम के अनुसार वितरित की जाएगी :

परंतु कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके रजिस्ट्रीकरण के आरंभिक दो वर्षों के दौरान सोसाइटी द्वारा उपगत प्रशासनिक खर्चों के कारण कुल वार्षिक संग्रहण की बीस प्रतिशत तक कटौती कर सकेगी ।

56. **टैरिफ स्कीम.**- (1) यथाशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में उस तारीख से तीन मास के अपश्चात् जिसको प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, इसके प्रतिलिप्यधिकार कारबार को प्रारंभ करने के लिए हकदार हुई है, अधिनियम की धारा 33क के अधीन "टैरिफ स्कीम" के नाम से ज्ञात टैरिफ स्कीम की विरचना करेगी जिसमें उन रोयलटियों की प्रकृति और मात्रा प्रदर्शित की जाएगी जिनका इसके द्वारा प्रशासित कृतियों के विशेष प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में संगृहीत किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसकी टैरिफ स्कीम को इसकी वेबसाइट पर डालकर प्रदर्शित करेगी ।

(3) टैरिफ स्कीम में निम्नलिखित के लिए पृथक्-पृथक् दरें उपदर्शित की जाएंगी -

(क) उपयोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्ग ;
(ख) समुपयोजन के विभिन्न माध्यम जैसे दूरभाष, प्रसारण या इंटरनेट ;
(ग) समुपयोजन के विभिन्न प्रकार चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा या समूह द्वारा हों या एकल या बहु उपयोग या विज्ञापन के लिए हो ;
(घ) उपयोग की विभिन्न कालावधियां और राज्यक्षेत्र ; और
(ङ) सोसाइटी द्वारा उपदर्शित ऐसा कोई अन्य अंतर करने वाला कारण, जो वह उचित समझे ।

(4) टैरिफ नियत करते समय प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी न्यायालय या बोर्ड, यदि कोई हों, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेगी और उपयोक्ता समूहों से परामर्श कर सकेगी ।

(5) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस दशा में किसी अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम रूप से रोयलटियां संगृहीत करेगी जहां टैरिफ स्कीम में रोयलटियों के एकमुश्त संदाय का उपबंध है । उस दशा में जब टैरिफ स्कीम में किस्तों में संदाय का उपबंध है तब प्रत्येक किस्त अग्रिम रूप से संगृहीत की जाएगी । तथापि उस दशा में जब टैरिफ स्कीम में रोयलटियों का संदाय वास्तविक उपयोग के आधार पर करने का उपबंध है तब प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्ति जारी करने के समय अग्रिम संगृहीत कर सकेगी और वास्तविक उपयोग पर आधारित अंतिम संदाय का परिनिर्धारण उस अवधि के अंत में किया जा सकेगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान की गई है :

परंतु उस दशा के सिवाय जहां टैरिफ स्कीम में विनिर्दिष्ट रूप से आपवादिक परिस्थितियां सम्मिलित की गई है और शासी परिषद् द्वारा एकल मामला अनुमोदित किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से न्यूनतम प्रत्याभूति के रूप में कोई संदाय प्राप्त नहीं करेगी जिसके रोयलटी संदाय ऐसे वास्तविक उपयोग पर आधारित है जिनका सोसाइटी के साथ परिनिर्धारण अनुज्ञप्ति अवधि के अंत में किया जाना है ।

(6) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, नियमों का अनुसरण करते हुए सावधिक रूप से, किंतु बारह मास की अवधि से पहले नहीं, टैरिफ स्कीम को पुनरीक्षित कर सकेगी । वह पुनरीक्षित टैरिफ स्कीम की तारीख को इसके प्रवृत्त होने से कम से कम दो मास पूर्व प्रकाशित करेगी और उसे इसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

57. टैरिफ स्कीम पर बोर्ड को अपील.- (1) टैरिफ स्कीम द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ धारा 33क के अधीन बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का अपील के आधारों पर समाधान हो जाता है तो वह -.

(क) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी पर अपील की एक प्रति तामील करेगा ; और
(ख) अपीलार्थी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को भी सुने जाने का अवसर देगा और अपील के संबंध में ऐसी साक्ष्य ले सकेगा जो वह उचित समझे ।

(3) अपीलार्थी, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को बोर्ड द्वारा नियत कोई भी अंतरिम टैरिफ संदत्त करेगा जो बोर्ड को अपील फाइल करने के पूर्व देय हो गया है ।

(4) बोर्ड, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् कोई अंतरिम टैरिफ नियत कर सकेगा और अपीलार्थी को अपील का निपटान लंबित रहने तक तद्नुसार संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।

(5) बोर्ड निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् धारा 33 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की टैरिफ स्कीम अवधारित करेगा -

(क) कृतियों के ऐसे वाणिज्यिक उपयोग की बाबत रोयलटियों के विद्यमान मानक ; और
(ख) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

(6) बोर्ड अपील का निपटारा इसको फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर करेगा ।

58. वितरण स्कीम.- (1) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, यथाशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में उस तारीख से तीन मास के अपश्चात् जिसको प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, इसके प्रतिलिप्यधिकार कारबार को प्रारंभ करने के लिए हकदार हुई है, "वितरण स्कीम" के नाम से ज्ञात स्कीम की विरचना करेगी जिसमें उन सदस्यों में टैरिफ स्कीम में विनिर्दिष्ट रोयलटियों के वितरण की प्रक्रिया प्रदर्शित की जाएगी जिनका नाम सोसाइटी के साधारण निकाय के अनुमोदन के लिए नियम 59 के खंड (i) के अधीन अनुरक्षित लेखकों और स्वामियों के रजिस्टर में प्रविष्ट है ।

(2) वितरण, युक्तियुक्त रूप से, कृतियों के उन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करने से व्युतपन्न प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की रोयलटी आय के अनुपात में होगा जिसके लिए ये प्रत्येक लेखक या अधिकार के अन्य स्वामी को प्रशासित कर रही है ।

(3) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा रोयलटियों के वितरण में लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

(4) रोयलटियों का वितरण करते समय प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस आधार के बारे में सभी सदस्यों को सूचित करेगी जिस पर रोयलटियों की ऐसी रकम वितरित की गई है ।

(5) वितरण स्कीम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रोयलटी वितरण निष्पक्ष, सही, लागत प्रभावी और बिना किसी अज्ञात या अप्रकट प्रति सहायकियों के है ।

(6) सोसाइटी इसके सदस्यों के वितरण के हिस्से को अवधारित करने के लिए पारदर्शी रीति में परिमापी नियत करेगी और उसके ब्यौरे इसके सदस्यों को सुगमता से समझने योग्य रीति में प्रकट करेगी ।

(7) रोयलटियों का वितरण वास्तविक उपयोग या ऐसे विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होगा कि अनुज्ञप्त अधिकारों के वाणिज्यक समुपयोजन को ऋजूपूर्वक व्यपदिष्ट करें ।

(8) वितरण स्कीम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सदस्यों को रोयलटियां एक तिमाही में कम से कम एक बार वितरित की गई है ।

(9) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके सदस्यों को देय रोयलटियों के हिस्से के विरुद्ध इसके सदस्यों को न्यूनतम प्रत्याभूति के रूप में कोई भी संदाय नहीं करेगी ।

(10) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में अधिकारों की अनुज्ञप्ति के लिए टैरिफ स्कीम के आधार पर संगृहीत रोयलटियों का साहित्यक या संगीत कृतियों के लेखकों और धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में अधिकारों के स्वामियों का बराबर आधार पर हिस्सा होगा ।

59. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबंध.- (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी -

(क) की एक साधारण निकाय होगी जो कृतियों के लेखकों और उन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों के समुच्च्य वाले अन्य स्वामियों से मिलकर बनेगी जिसके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्ति जारी और प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(ख) की एक शासी परिषद् होगी जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम छः अन्य सदस्य होंगे ; और

(ग) का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा (जो सोसाइटी का सदस्य हो सकेगा या नहीं हो सकेगा) ।

(2) साधारण निकाय सोसाइटी के मामलों में विनिश्चय करने वाली निकाय होगी । सोसाइटी के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक शक्तियां साधारण निकाय के पास होंगी और शासी परिषद्, साधारण निकाय के निदेशानुसार कार्य कर सकेगी ।

(3) अध्यक्ष का निर्वाचन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की साधारण निकाय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जाएगा ।

(4) शासी परिषद् का अध्यक्ष साधारण निकाय की अध्यक्षता करेगा ।

(5) अध्यक्ष को साधारण निकाय और शासी परिषद् में मत देने का अधिकार होगा ।

(6) शासी परिषद् के अध्यक्ष से भिन्न सदस्य, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की साधारण निकाय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा साधारण निकाय से निर्वाचित लेखकों और अन्य स्वामियों में से बराबर प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(7) शासी परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और उसके सदस्य, इस प्रकार सदस्य के रूप में उनकी पदावधि पूर्ण होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए पुनः निर्वाचित होने के पात्र नहीं होंगे ।

(8) साधारण निकाय, शासी परिषद् के पर्यवेक्षणाधीन टैरिफ स्कीम, वितरण स्कीम, कल्याण स्कीम और उससे संबंधित अन्य विषयों को तैयार करने के लिए उप समितियां सृजित कर सकेगी ।

(9) साधारण निकाय सोसाइटी के लिखत का अनुमोदन करेगी जिसके अंतर्गत उसमें कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन भी है ।

60. स्कीमों का अनुमोदन.- (1) जैसे ही शासी परिषद् द्वारा इन नियमों में कोई स्कीम तैयार की जाती है तो प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उसके अनुमोदन के लिए साधारण निकाय बैठक बुलाएगी ।

(2) बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना दी जाएगी और सूचना के साथ उक्त स्कीम के बनाए जाने में अनुसरण किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर टिप्पणी सहित प्रस्तावित स्कीम की एक प्रति उपाबद्ध की जाएगी और उसे सोसाइटी की वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

(3) उप नियम (2) के अधीन सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि कोई भी सदस्य जो स्कीम पर आक्षेप करे, उक्त स्कीम के प्रारंभ की तारीख से उसकी कृति में कोई अधिकार प्रशासित करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को दिए गए प्राधिकार का प्रत्याहरण करने का हकदार होगा ।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ऐसे सदस्यों का अभिलेख रखेगी जिन्होंने अनुमोदन किया है और जिन्होंने उस पर आक्षेप किया है ।

(5) स्कीम का अनुमोदन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(6) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी भी अनुमोदित स्कीम का संशोधन साधारण निकाय के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं करेगी ।

61. सोसाइटी की बैठकें.- (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व वार्षिक साधारण निकाय बैठक के रूप में इसके सभी सदस्यों की साधारण निकाय बैठक आयोजित करेगी ।

(2) शासी परिषद् के दो तिहाई बहुमत द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो साधारण निकाय के सभी सदस्यों द्वारा असाधारण निकाय की बैठक के नाम से ज्ञात एक साधारण निकाय की बैठक भी आयोजित की जा सकेगी ।

(3) साधारण निकाय और शासी परिषद् की बैठकें उस कस्बे या शहर में जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है या उस सुविधाजनक स्थान पर जिसका सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, आयोजित की जाएंगी ।

(4) साधारण निकाय की बैठक के लिए सूचना बैठक के इक्कीस दिन पूर्व जारी की जाएगी और इसमें बैठक के स्थान का पता, एजेन्डा, समय और तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा इसे सोसाइटी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा ।

(5) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को साधारण निकाय की बैठकों में मत देने का समान अधिकार होगा ।

(6) ऐसे सदस्यों जो लेखक हैं और अधिकारों के अन्य स्वामी सदस्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा ।

(7) साधारण निकाय की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी और गणपूर्ति के अभाव में बैठक को तीस मिनट के लिए स्थगित किया जा सकेगा और तब उपस्थित सदस्य गणपूर्ति होंगे ।

(8) शासी परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष से भिन्न लेखक और अन्य स्वामियों की समान संख्या में उसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ।

(9) प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार को साधारण निकाय की सभी बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाएगा । रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त बैठकों में भाग ले सकेगा ।

62. साधारण निकाय की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज -प्रत्येक प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी अपनी साधारण निकाय की वार्षिक बैठक के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी :-

(i) लेखकों या अन्य अधिकार स्वामियों की या कार्यों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में जिनके लिए प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के नाम और पते की अद्यतन सूची या जैसा कि लेखक और स्वामी रजिस्टर में अनुरक्षित यथा अभिलिखित सैट जैसा कि नियम 64 के उपनियम (1) में यथाउपबंधित है ;

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सोसाइटी के संपरीक्षित लेखे ;

(iii) टैरिफ स्कीम और वितरण स्कीम या कोई अन्य स्कीम जिसके अंतर्गत उक्त स्कीमों पर प्रतिलिज्याधिकार बोर्ड के विनिश्चय, यदि कोई हों, हैं ;

(iv) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों के पूर्ण और विस्तृत ब्यौरे देते हुए शासी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट ;

(v) पश्चातवर्ती वर्ष के लिए शासी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित बजट आकलनों के साथ कार्रवाई करने के लिए कार्यक्रम ;

(vi) अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन विदेशी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के साथ किए गए करार, यदि कोई हों ;

(vii) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण लिखित में किए गए कोई परिवर्तन ; और

(viii) सोसाइटी से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जिसके लिए साधारण निकाय का अनुमोदन अपेक्षित है ।

63. लेखा और लेखा परीक्षा - (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी वित्त वर्ष में संगृहीत राजस्व का, सदस्यों को ऐसे संग्रहणों से किए गए संदायों का और मुकदमेबाजी की लागत सहित प्रशासनिक और अन्य विषयों को चुकाने के लिए किए गए आवर्ती और अनावर्ती व्यय सहित सदस्यों को ऐसे संग्रहणों से किए गए संदायों का समुचित लेखा रखेगी ।

(2) लेखा बहियां सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी और साधारण निकाय द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार समय-समय पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी ।

(3) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अपने खातों की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा करवाएगी ।

64. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगी -

(i) कार्यों की विशिष्ट श्रेणियों में जिनके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है की बाबत अधिकार या अधिकारों के सेट के लिए " लेखकों और अन्य स्वामियों का रजिस्टर" के नाम से लेखकों और अन्य स्वामियों का रजिस्टर । इस रजिस्टर में लेखकों और अन्य स्वामियों का नाम, उनके पते, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारों की प्रति, कार्य के प्रकाशन का वर्ष, वह तारीख जिसको

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिए हकदार बनी और ऐसी हकदारी की अवधि, वह क्षेत्र जिसके लिए प्राधिकरण दिया गया और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारों को अंतर्विष्ट किया जाएगा ;

(ii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा लेखकों और अन्य स्वामियों के साथ किए गए करारों की एक प्रति अंतर्विष्ट रखने वाला, "करारों का रजिस्टर" नाम से ज्ञात इस प्रयोजन के रजिस्टर ;

(iii) "स्वामित्वों का रजिस्टर" के नाम से एक रजिस्टर का जिसमें राजस्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और उसमें उन व्यक्तियों या संगठनों के नाम और अनुज्ञप्ति करारों की प्रति रखी जाएगी जिनसे राजस्व की वसूली की गई है और वसूली की तारीख सहित इस प्रकार वसूली गई रकम का वर्णन किया जाएगा ;

(iv) "संवितरण रजिस्टर" के नाम से एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक लेखक या अन्य अधिकार या अधिकारों की विशिष्ट कार्यों की श्रेणी में संवितरित राजस्वों के ब्यौरे, श्रेणीवार, लेखक या अन्य स्वामी के नाम, उसके अधिकार की प्रकृति और उसको संवितरण किए गए राजस्व की रकम और तारीख का वर्णन करते हुए अंतर्विष्ट होंगे ।

65. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाने वाली विवरणियां - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी वार्षिक विवरणी के नाम से प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास प्रत्येक वार्षिक साधारण निकाय की बैठक के समाप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे उपदर्शित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वार्षिक विवरणी फाइल करने से ठीक पूर्व आयोजित वार्षिक साधारण निकाय की बैठक की तारीख, ऐसी बैठक में भाग लेने वाले कुल सदस्य की संख्या, ऐसी बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त ;

(ii) सदस्यों की अद्यतन सूची नियम 64 में यथाउपबंधित प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाले लेखकों और स्वामियों के रजिस्टर में यथाअभिलिखित उनका नाम और पता ;

(iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के संपरीक्षित लेखे ;

(iv) टैरिफ स्कीम, संवितरण स्कीम और अन्य स्कीमें, यदि कोई हों ;

(v) वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा देते हुए साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट ;

(vi) ऐसे सदस्यों की सूची जिन्हें राजस्वों का संवितरण नहीं किया गया है और उसके कारण ; और

(vii) संवितरित रकम के साथ ऐसे सदस्यों की सूची जिन्हें राजस्वों का संवितरण किया गया है ।

66. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के लिए आचार-संहिता - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी निम्नानुसार आचार-संहिता का अनुपालन करेगी :-

(1) प्रत्येक सोसाइटी अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित उपलब्ध कराएगी -

(क) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ;

(ख) संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, संविधान या चार्टर जैसे मूल दस्तावेज ;

(ग) साधारण निकाय के सभी सदस्यों की सूची ;

(घ) अध्यक्ष, शासी परिषद के अन्य सदस्यों और सोसाइटी के अन्य अधिकारियों के नाम और पते ;

(ङ) कार्यों की विशिष्ट श्रेणियों जिनके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के अधिकार या अधिकारों का सेट ;

(च) सोसाइटी की सभी स्कीमें ;

(छ) साधारण निकाय द्वारा यथाअनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखे ;

(ज) अनुज्ञप्ति करार का प्रारूप ;

(झ) सिवाय अनुज्ञप्ति में उन खंडों से भिन्न जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं, सभी अनुज्ञप्तियों के ब्यौरे ;

(ञ) ऐसी विदेशी सोसाइटियां जिनके साथ राजस्व संग्रहण के करार हैं और उन खंडों से भिन्न जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं, सभी करारों के ब्यौरे ;

(ट) परिवाद या शिकायत प्रकोष्ठ के ब्यौरे ; और

(ठ) आचार-संहिता ।

(2) सदस्यों -

(क) के साथ न्यायोचित, ईमानदारीपूर्वक, पक्षपातरहित, शालीनता से व्यवहार किया जाएगा और यह सुनिश्चय किया जाएगा कि उनके साथ पारदर्शिता से बरता जाए ;

(ख) को संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, संविधान, चार्टर, टैरिफ स्कीम और संवितरण स्कीम जैसे मूल दस्तावेजों की एक प्रति शामिल होने के समय या किसी भी समय अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ग) को शासी परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों सहित प्रत्येक सदस्य की शक्तियों और दायित्वों को उपदर्शित करने वाले दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ; और

(घ) उन्हें निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा -

(i) सदस्यों को संदाय किए जाने वाले राजस्वों की संगणना का आधार ;

(ii) सदस्यों को संदायों की रीति और आवर्ती ; और

(iii) संवितरण से पहले कुल आय में से कटौती की साधारण प्रकृति ।

(3) प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों को संवितरण स्कीम के अनुसार संदायों का वितरण करेगी ।

(4) प्रत्येक सोसाइटी अनुज्ञप्तिधारियों से न्यायोचित रूप से, ईमानदारी से बिना किसी पक्षपात से और शालीनता से व्यवहार करेगी और यह सुनिश्चय करेगी कि अनुज्ञप्तिधारियों के साथ उसका बर्ताव अधिक पारदर्शी हो ।

(5) प्रत्येक सोसाइटी टैरिफ स्कीम नियत करते समय निम्नलिखित का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) अनुज्ञप्ति फीस का न्यायोचित और युक्तियुक्त होना ;

(ख) कार्य के अधिकारों के मूल्य का ध्यान रखना ;

(ग) वह प्रयोजन और रीति जिसमें अधिकारों का उपयोग किया जाना है ;

(घ) बोर्ड के कोई सुसंगत विनिश्चय ; और

(ङ) टैरिफ स्कीम का उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने की दशा में उस कार्य के प्रसार के संवर्धन में उद्योग द्वारा निर्वाह की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान तथा जहां तक संभव हो सके अनुज्ञप्तिधारियों के साथ परामर्श ।

(6) प्रत्येक सोसाइटी ऑन लाइन आवेदन, राजस्वों के संदाय और जहां तक व्यवहार्य हो ऑन लाइन अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रसुविधा का उपबंध करेगी ।

(7) प्रत्येक सोसाइटी निम्नलिखित का सुनिश्चय करेगी -

(क) यह कि शासी परिषद के सदस्य साधारण निकाय के प्रति जवाबदेह हैं ;

(ख) राजस्वों के संग्रहण और वितरण तथा व्ययों सहित उचित और पूर्ण वित्तीय अभिलेखों का अनुरक्षण ; और

(ग) किसी अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उसके लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा ।

(8) प्रत्येक सोसाइटी परिवादों और शिकायतों से बरतने के लिए प्रक्रिया का निम्नानुसार अनुपालन करेगी :-

(क) शिकायत या परिवाद प्रकोष्ठ का गठन करेगी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगी ;

(ख) शिकायत किस प्रकार की जाए के संबध में सूचना और किसी शिकायत विरचना और उसके करने में परिवादकर्ता की युक्तियुक्त सहायता ;

(ग) किसी परिवाद की प्राप्ति पर तुरंत परिवाद की पावती की अभिस्वीकृति ;

(घ) परिवाद की प्रकृति और परिवादकर्ता के ब्यौरों का सत्यापन ;

(ङ) परिवाद की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो परिवादकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करना ;

(च) दो मास की अवधि के भीतर परिवाद का निपटान और परिवादकर्ता को लिखित प्रत्युत्तर प्रदान करना ;

(छ) परिवादों से निपटने उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना ; और

(ज) परिवादों से निपटने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया तथा उसके लिए तंत्र का आवधिक पुनर्विलोकन ।

67. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की कल्याण निधि - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उसके साधारण निकाय द्वारा यथाअवधारित अनुसार अपने सदस्यों के कल्याण के लिए किसी स्कीम की विरचना कर सकेगी और संगृहीत अपने कुल राजस्वों का पांच प्रतिशत और किन्हीं संबंधित सदस्यों के उपलब्ध न होने के कारण किसी अवितरित रकम को स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रख सकेगी ।

अध्याय 12

प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी

68. प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण और प्रबंधन - (1) धारा 38क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के परंतुक तथा धारा 39क के अधीन प्रस्तुतिकर्ताओं की बाबत अनुज्ञप्तियां जारी करने या प्रदत्त करने के कारबार को चलाने के प्रयोजन के लिए, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नर्तक, नट, बाजीगर, जादूगर, सपेरे, संभाषण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अन्य समूह जो कोई प्रस्तुति कर सकता है जैसे प्रस्तुतिकर्ताओं के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रस्तुतिकर्ताओं की एक पृथक सोसाइटी होगी :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार प्रस्तुतिकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तुतिकर्ताओं के परस्पर सहबद्ध होने या एक-दूसरे से निकट संबंध होने की दशा में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात कर सकेगी ।

(2) ऐसी सोसाइटी उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी के नाम से ज्ञात होगी ।

(3) धारा 39क के उपबंधों के अनुसार उपनियम (1) में वर्णित प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी का स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व होगा जो सात या अधिक प्रस्तुतिकर्ताओं से मिलकर बनेगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा जाएगा) ऐसा कारबार करने के लिए और उसको प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्ररूप 11 में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास आवेदन फाइल कर सकेगी ।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों से संबंधित इन नियमों का अध्याय 11 सिवाय नियम 44 के उपनियम (1) के आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरणों सहित प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटियों पर भी लागू होगा ।

स्पष्टीकरण 1.- उपधारा (1) के खंड (क) के (i) से (v) और धारा 38क की उपधारा (2) के परंतुक में प्रस्तुतिकर्ताओं के अधिकार के उपभोग से संगृहीत राजस्व को प्रस्तुतिकर्ता और अन्य प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के बीच बराबर बांटा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.- धारा 38क की उपधारा (2) के परंतुक में वर्णित वाणिज्यिक उपयोग से पुनःप्रस्तुतिकरण, प्रतियां जारी करना या वितरण, पब्लिक को संप्रेषण जिसके अंतर्गत सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रसारण और वाणिज्यिक रूप से भाटक पर देना है, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 3.- इस अध्याय के प्रयोजन के लिए प्रस्तुति में किसी प्रस्तुतिकर्ता का किसी स्टूडियो या अन्यथा में ध्वनि और दृश्य में दृश्य या ध्वनित्मक प्रस्तुतिकरण का अभिलेखन शामिल है ।

अध्याय 13

प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रीकरण

69. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर का प्रारूप - (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर भौतिक और इलैक्ट्रानिक प्रारूप में छह भागों में रखा जाएगा, अर्थात् :-

भाग I - कंप्यूटर कार्यक्रम, सारणियां और संकलन जिसके अंतर्गत कंप्यूटर डाटाबेस और नाटक कार्य भी हैं, से भिन्न साहित्यिक कार्य ।

भाग II - संगीत कार्य

भाग III - कलात्मक कार्य

भाग IV - सिनेमेटोग्राफ फिल्में

भाग V - ध्वन्यंकन

भाग VI - कंप्यूटर कार्यक्रम, सारणियां और संकलन जिसके अंतर्गत कंप्यूटर डाटाबेस हैं ।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में प्रारूप 13 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

70. प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 14 में किया जाएगा और प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्यधिकार विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 15 में किया जाएगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कार्य की बाबत होगा और इसके साथ इस निमित्त दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी ।

(3) प्रत्येक आवेदन पर केवल आवेदन द्वारा जो लेखक या अधिकार का स्वामी हो सकेगा, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । यदि आवेदन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ उसके पक्ष में लेखक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की मूल प्रति होगी ।

(4) किसी अप्रकाशित कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ कार्य की दो प्रतियां संलग्न होंगी ।

(5) किसी कंप्यूटर कार्यक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ सोर्स और ऑबजेक्ट कूट होगा ।

(6) किसी कलात्मक कार्य जो किन्हीं मालों के संबंध में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जा सकता है, की बाबत प्रत्येक आवेदन के साथ इस निमित्त एक कथन संलग्न होगा और उसके साथ व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3 में निर्दिष्ट इस प्रभाव का प्रमाणपत्र होगा कि उस अधिनियम के अधीन उस नाम से उस कलात्मक कार्य के समान या उससे प्रवंचित रूप से समान किसी व्यापार चिह्न को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है ।

(7) किसी कलात्मक कार्य जो डिजाइन अधिनियम, 2000 के अधीन किसी डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए सक्षम है के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए शपथपत्र के प्रारूप में एक कथन होगा, अर्थात् :-

(क) इसे डिजाइन अधिनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ; और

(ख) इसका उपयोग किसी चीज में औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया गया है और इसका पचास बार से अनधिक प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(8) ऐसा प्रत्येक आवेदन प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में व्यक्ति द्वारा डाक के माध्यम से या प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर यथाउपबंधित ऑन लाइन फाइलों प्रसुविधा द्वारा फाइल किया जा सकता है ।

(9) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने आवेदन की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को देगा जिसका प्रतिलिप्यधिकार की विषय-वस्तु में कोई दावा या कोई हित है या वह आवेदक के दावे पर कोई विवाद करता है ।

(10) आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार का आवेदन में दी गई विशिष्टियों के ठीक होने के विषय में समाधान हो जाता है तो वह ऐसी विशिष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

(11) यदि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आक्षेप प्राप्त करता है या उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, कार्य की ऐसी विशिष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में दर्ज करेगा जैसा कि वह उचित समझे ।

(12) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार किसी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकार्य करने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(13) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को केवल तभी पूरा हुआ माना जाएगा जब प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की प्रति पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या उप प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार जिसे ऐसा प्राधिकार प्रदत्त किया गया है, हस्ताक्षर करे और जारी करे ।

(14) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, यथासंभवशीघ्र जहां व्यवहार्य हो, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की एक प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजेगा ।

71. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में शुद्धि और परिशोधन - (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर धारा 49 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में, जहां व्यवहार्य हो, ऐसे संशोधन या परिवर्तन से प्रभावित व्यक्ति को ऐसे संशोधन या परिवर्तन के विरूद्ध हेतूक उपदर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् संशोधित या परिवर्तित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार किए गए संशोधन या परिवर्तन से संसूचित करेगा ।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त धारा 50 के अधीन किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा पारित आदेश के पश्चात् परिशोधित कर सकेगा ।

72. इंडेक्स - (1) प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में निम्नलिखित इंडेक्स भौतिक और इलैक्ट्रानिक दोनों रूप में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर के प्रत्येक भाग के लिए रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(i) साधारण लेखक इंडेक्स ;

(ii) साधारण शीर्षक इंडेक्स ;

(iii) प्रत्येक भाषा में कार्यों का एक लेखक इंडेक्स ; और

(iv) प्रत्येक भाषा में कार्यों का एक शीर्षक इंडेक्स ।

(2) प्रत्येक इंडेक्स को कार्डों के रूप में वर्णानुक्रम में रखा जाएगा ।

73. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और इंडेक्स का निरीक्षण - प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और उसके इंडेक्स सभी युक्तियुक्त समय पर किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन उपलब्ध होंगे जैसा

कि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे । प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और इंडेक्सों की ऑन लाइन खोजबीन या निरीक्षण का उपयोग दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस का ऑन लाइन संदाय करने पर किया जा सकता है ।

74. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और इंडेक्स की प्रतियां और उद्धरण - (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंध किए गए अधीक्षण के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर या इंडेक्सों की प्रतियां लेने का या उनसे उद्धरण करने का हकदार होगा ।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार इस निमित्त किए गए आवेदन पर और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और उसके इंडेक्सों में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 14

कार्यों की स्थायी या अनुषंगी प्रतियों का भंडारण

75.(1) किसी प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को जिसने कार्य के स्थायी या आनुषांगिक भंडारण तक इलेक्ट्रानिक लिंक, पहुंच या एकीकरण को सुकर बनाया है लिखित शिकायत कर सकेगा कि वह कार्य के ऐसे भंडारण को अवरूद्ध करे ।

(2) लिखित परिवाद में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) कार्य की पहचान करने के लिए पर्याप्त सूचना के साथ कार्य का विवरण ;

(ख) यह सिद्ध करने के लिए ब्यौरे कि परिवादकर्ता कार्य का स्वामी है या कार्य के प्रतिलिप्यधिकार का अनन्य अनुज्ञप्तिधारी है ;

(ग) यह सिद्ध करने के लिए ब्यौरे कि कार्य की वह प्रति जो अस्थायी या अनुषांगिक भंडारण की विषयवस्तु है जो कि परिवादकर्ता के स्वामित्वाधीन कार्य की अतिलंघनकारी प्रति है और यह कि अतिलंघनकारी कृत्य धारा 52 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, के अधीन नहीं आता है ;

(घ) उस अवस्थिति के ब्यौरे जहां कार्य का अस्थायी या अनुषंगिक भंडारण किया जा रहा है ;

(ङ) उस व्यक्ति के ब्यौरे, यदि ज्ञात है, जो कि परिवादकर्ता के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कर रहा है, को अपलोड करने के लिए उत्तरदायी है ; और

(च) यह वचनबंध कि परिवादकर्ता सक्षम न्यायालय में अतिलंघनकारी प्रति को अपलोड करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध अतिलंघनकारी वाद फाइल करेगा और अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के आदेशों को सूचना की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रति के भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का लिखित परिवाद की प्राप्ति पर परिवाद में उपबंधित ब्यौरों से यह समाधान हो जाता है कि कार्य की प्रति एक अतिलंघनकारी प्रति है, छत्तीस घंटे के भीतर वह ऐसी पहुंच को परिवाद की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन तक या तब तक जब तक कि वह सक्षम न्यायालय से पहुंच को सुकर बनाने से अवरूद्ध करने के लिए आदेश प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उपाय करेगा ।

(4) भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक सूचना का प्रदर्शन करेगा जिसमें तथाकथित अतिलंघनकारी प्रति तक पहुंच के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को ऐसी पहुंच से अवरूद्ध करने के कारण दिए गए हों ।

(5) भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कार्य के भंडारण को पुनःआरंभ कर देगा यदि परिवादकर्ता अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के उसे अवरूद्ध करने के आदेशों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।

(6) उपदर्शित अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाल सक्षम न्यायालय के आदेशों को प्रस्तुत करने में परिवादकर्ता के असफल रहने की दशा में, भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उसी परिवादकर्ता द्वारा उसी कार्य के लिए उसी अवस्थिति में भेजी गई और सूचना का प्रत्युत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं होगा ।

अध्याय 15

निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रही संगठनों द्वारा कार्य करना या उसका अनुकूलन

76. अभिलेखों का अनुरक्षण - निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रही संगठन जो किसी सुलभ प्रारूप में किसी कार्य का अनुकूलन करने, पुनःप्रस्तुत करने, प्रतियां या पब्लिक को संप्रेषण करने का आशय रखते हैं तो वह अपने कारबार के प्रधान स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक रजिस्टर रखेंगे, अर्थात् :-

(क) कार्य का नाम, लेखक या स्वामी या प्रकाशक के नाम सहित प्रकाशन का वर्ष ;

(ख) उस सुलभ प्रारूप के ब्यौरे जिसमें कार्य किया गया है ;

(ग) अनुकूलन, पुनःप्रस्तुति, प्रतियां जारी करना या पब्लिक को संप्रेषण जैसे कार्यकलापों की प्रकृति ;

(घ) की गई प्रतियों की कुल संख्या, निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की सूची जिन्हें प्रतियां वितरित की गई हैं ; और

(ङ) कीमत, यदि कोई हो, जो प्रतियों पर प्रभारित की गई है ।

77. किसी सुलभ प्रारूप में बनाई गई प्रतियों में सूचना का शामिल किया जाना - निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रहे संगठन द्वारा सृजित सुलभ प्रारूप में प्रतियों में समुचित सूचनाएं अंतःस्थापित करेंगे कि

(क) सुलभ प्रारूप को धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (यक) के अधीन स्पष्टीकरण के अनुसरण में सृजित किया जाता है ;

(ख) सुलभ प्रारूप का एकमात्र आशय निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाना है जो कार्य के सामान्य प्रारूप का उपयोग नहीं कर सकते हैं ; और

(ग) किसी व्यक्ति को जो कार्य के सामान्य प्रारूप का उपयोग कर सकता है, को सुलभ प्रारूप के किसी और वितरण को और अन्य विधिक परिणामों को जो कि यथालागू हैं, को रोकना होगा ।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "सुलभ प्रारूप" पद में ब्रेल, डेजी, लार्जप्रिंट, टाकिंग बुक्स, डिजिटल प्रारूप और ऐसे अन्य प्रारूप सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है ।

78. निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे संगठनों द्वारा नियोजित तृतीय पक्षकारों के साथ संविदाएं - निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहा कोई संगठन किसी तृतीय पक्षकार को धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (यक) के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं गतिविधियों को उसकी ओर से करने के लिए नियोजित कर सकेगा और ऐसे तृतीय पक्षकार के साथ समुचित संविदाएं कर सकेगा जिससे तृतीय पक्षकार संगठन की ओर से ऐसे कार्यकलाप करें न कि अन्यथा ।

अध्याय 16

अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात

79. अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात - (1) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक सूचना सीमाशुल्क आयुक्त या इस निमित्त केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा प्ररूप 16 के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी को दी जाएगी और इसके साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना देने वाला व्यक्ति आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर डैमरेज, भंडारण की लागत और यह पाए जाने की दशा में कि कार्य अतिलंघनकारी प्रतियां नहीं हैं, के लिए आयातक को प्रतिकर देने के लिए होने वाले संभावित व्ययों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति के रूप में ऐसी रकम जमा की जाएगी जैसा कि आयुक्त उचित समझे ।

(3) आयुक्त या इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कार्य की प्राप्ति पर यदि उनका यह समाधान हो जाता है तो चौदह दिन की अवधि के लिए ऐसे कार्य की निकासी को स्थगित कर सकेंगे और ऐसे व्यक्ति को जिसने सूचना दी है कार्य की प्राप्ति और निरूद्ध करने की सूचना देंगे ।

(4) आयातक या उसके सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता के अनुरोध पर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति के नाम और पते से सूचित करेंगे जिसने सूचना दी है ।

(5) आयुक्त या इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति जिसने सूचना दी है, द्वारा अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के कार्य के पारेषण को स्थगित करने का आदेश देने में असफल रहने पर चौदह दिन की अवधि के अवसान पर पारेषण को मुक्त कर देगा ।

अध्याय 17

प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपाय

80. अभिलेखों का रखा जाना - (1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 65क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवंचना करने के लिए अनुज्ञात है, किसी व्यक्ति से जो प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवंचना करने में उसकी सहायता कर सकता है, अनुरोध कर सकेगा ।

(2) किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवंचना को सुकर करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के जिसने सहायता के लिए अनुरोध किया था, के निम्नलिखित ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए निम्नलिखित ब्यौरों का अभिलेख रखेगा, अर्थात् :-

(क) व्यक्ति का नाम, डाक का पूरा पता, फोटो, ई-मेल पता और टेलीफोन या अन्य संपर्क के ब्यौरे ;

(ख) व्यक्ति के वृत्तिक ब्यौरे, यदि कोई हों, जिसक अंतर्गत वर्तमान में जहां वह कार्य कर रहा है, स्थान का पता सम्मिलित है ;

(ग) प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवंचना के कारण और प्रयोजन ; और

(घ) सहायता का अनुरोध करने वाले व्यक्ति से एक लिखित वचनबंध कि वह प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवंचना के लिए हकदार है और वह किसी संरक्षित कार्य के प्रतिलिप्यधिकार अतिलंघन, यदि कोई है, के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा ।

(3) अभिलेख को ऑन लाइन या किसी अन्य प्रारूप में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे स्थान पर जहां वह परिवंचना को सुकर कर रहा है, रखा जएगा ।

(4) उपनियम (2) के अधीन अभिलेखों को रखने वाला ऐसा व्यक्ति अभिलेख में ब्यौरों का प्रकटन केवल न्यायालय या पुलिस के उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी जो धारा 65क के अधीन परिवाद का अन्वेषण कर रहा है, के आदेश पर करेगा ।

अध्याय 18

प्रकीर्ण

81. आवेदन करने का ढंग, आदि - इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन फाइल किया जाने वाला या भेजा जाने वाला प्रत्येक आवेदन, सूचना, कथन या दिया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक से या प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध फाइल करने की प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन किया जाएगा ।

82. प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, आदि द्वारा संप्रेषण का ढंग - प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक लिखित संसूचना को किसी व्यक्ति को सम्यकतः संप्रेषित किया गया समझा जाएगा यदि उस व्यक्ति के ज्ञात पते पर उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा गया है ।

83. फीस - (1) इस अधिनियम के अधीन किसी विषय पर संदेय फीस दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

(2) फीस का संदाय प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को पोस्टल आर्डर या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट या सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में मुख्य शीर्ष - 0070; 60 ; अन्य सेवाएं ; गौण शीर्ष - 113 ; प्रतिलिप्यधिकार फीस में जमा करके या प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट copyright.gov.in पर ऑन लाइन फाइलिंग प्रसुविधा द्वारा उपबंधित पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है ।

(3) पोस्टल आर्डर और बैंक ड्राफ्ट रेखांकित होंगे और नई दिल्ली में संदेय होंगे ।

(4) बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से संदाय वैध नहीं होगा सिवाय तब जब बैंक कमीशन उनमें सम्मिलित हो ।

(5) जब सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में संदाय जमा किया जाता है, संदाय के साक्ष्य स्वरूप चालान को संबंधित प्राधिकारी को पूर्वसंदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर या इंडेक्स से उद्धरण लेने के लिए किसी फीस का संदाय करना अपेक्षित नहीं है ।

84. सुने जाने का अधिकार - बोर्ड या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में कोई पक्षकार उपस्थित हो सकेगा और व्यक्तिगत रूप से या किसी प्लीडर या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे पक्षकार द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किया गया है, द्वारा सुना जा सकेगा ।

85. लागत - बोर्ड या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों से आनुषंगिक लागत, यथास्थिति, बोर्ड या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के विवेकाधिकार पर होगी ।

86. निरसन - प्रतिलिप्यधिकार नियम, 1958 का ऐसे नियमों के अधीन की गई किसी बात पर इन नियमों के लागू होने से पूर्व की गई किसी बात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरसन किया जाता है ।

पहली अनुसूची

प्ररूप-1

प्रतिलिप्यधिकार के त्याग की सूचना

(नियम 4 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली ।

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 21 के अनुसार, मैं सूचना देता हूं कि, इस सूचना की तारीख से, संलग्न शपथ पत्र में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, उक्त शपथ पत्र में वर्णित कार्यों में अपने अधिकारों का मैं त्याग करता हूं ।

भवदीय

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

ऊपर निर्दिष्ट शपथपत्र का प्ररूप

मैं.....
.....का

(पूरा नाम अक्षरों में)

.....
..... (पता)

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि–

(1) नीचे दिए गए कथन में वर्णित कृति का लेखक मैं ही हूं ;

(2) उक्त कथन में विनिर्दिष्ट विस्तार तक उक्त कृति में प्रतिलिप्यधिकार का मैं ही स्वामी हूं ; और

(3) उक्त कथन में विनिर्दिष्ट विस्तार तक उक्त कृति में अपने अधिकारों का त्याग करता हूं ;

कथन

कृति का विवरण :

(क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतमय, कलात्मक, चलचित्र फिल्म ध्वन्यंकन)

(ख) कृति का शीर्षक, यदि कोई हो ;

(ग) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता ;

(घ) कृति की भाषा, यदि कोई हो ;

(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता यदि कोई हो ;

(च) प्रथम प्रकाशन का वर्ष, यदि कोई हो ;

(छ) प्रथम प्रकाशन का देश, यदि कोई हो ;

(ज) यदि कृति का प्रतिलिप्यधिकार धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो ।

2. शपथपत्र की तारीख को अभिसाक्षी द्वारा स्वामित्व में अधिकार ।

(यदि किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन अधिकार है, तो संयुक्त स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता का कथन करें)

3. वे अधिकार जिनका त्याग किया गया है, का विस्तार ।
4. टिप्पणियां, यदि कोई हो ।

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

अभिसाक्षी,..... द्वारा मेरे सामने सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान किया गया.....
.....जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ।

(अभिसाक्षी का नाम स्पष्ट अक्षरों में) जिसे मैं.....द्वारा..... पहचानता हूं (पहचानकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ।

स्थान.....
तारीख .....

(मजिस्ट्रेट की मुहर और हस्ताक्षर)

प्ररूप-2

जनता से विधारित कृति के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(नियम 6 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार/सचिव
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली ।

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 31 के अनुसार, मैं, संलग्नक कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने/सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने/प्रतियां जारी करना/पुनःप्रकाशन/प्रत्युपादन.....कृति की अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन करता हूं ।
2. मैं अनिवार्य अनुज्ञप्ति के निबंधन व शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूं, यदि मुझे स्वीकृत किया गया ।
3. मैं सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान.....
तारीख.....

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का वर्णन :

(क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र फिल्म ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक/स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) पहले और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) पहले और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की प्रति की कीमत
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्यधिकार, धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण सख्या

5. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन प्रतियों को जारी करने के लिए/पुनःप्रकाशन, प्रत्युपादन के लिए किया जाता है, तो कथन करें ;

क. आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अधीन पुनःप्रकाशनः/पुनःउत्पादन और जारी होने वाले प्रस्तावित कृति की प्रतियों की संख्या

ख. प्रकाशित होने वाले कृति का प्राक्कलित व्यय
ग. कृति की प्रति प्रतिलिपि के लिए प्रस्तावित फुटकर कीमत
घ. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
ङ. स्वामिस्व संदेय करने के आवेदक के साधन

6. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन सार्वजनिक निष्पादन करने के लिए किया जाता है, तो कथन करे ;
   क. आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अंतर्गत होने वाले प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन की संख्या
   ख. प्रत्येक संपादन का अनुमानित व्यय
   ग. प्रस्तावित दरें जिन पर कृति का संपादन किया जाना है
   घ. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
   ङ स्वामिस्व संदेय करने के आवेदन के साधन

7. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन प्रसारण द्वारा सार्वजनिक संसूचित करने के लिए किया गया है, तो कथन करे :
   क. प्रसारण की अवधि और कितनी बार प्रसारण के लिए प्रस्ताव किया गया है
   ख. चैनलों के नाम और प्रसारण का क्षेत्रीय विस्तार
   ग. ऐसे कार्यों के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक
   घ. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
   ङ स्वामिस्व संदेय करने के आवेदन के साधन

8. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है, यदि हां तो संदेय की विशिष्टयां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान संख्या दे)
9. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
10. निम्नलिखित को दर्शाने के लिए साक्ष्य :--
    (क) कि कार्य को प्रसारण के द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने/सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने/प्रकाशन करने के लिए आवेदक ने निवेदन किया है और उक्त व्यक्ति द्वारा इसके प्राधिकरण को नामंजूर कर दिया है ।
    (ख) कार्य को प्रकाशित न करने के कारण से या पब्लिक में इसको संपादित न करने के कारण से कार्य को पब्लिक से विधारित कर दिया गया है ।
    (ग) प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की दशा में कार्य के स्वामी द्वारा प्रस्तावित नियम व शर्तें अनुचित हैं ।

11. टिप्पणी, यदि कोई हो
12. संलग्नको की सूची

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-3

प्रकाशन/सार्वजनिक संसूचना/अनुवाद के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेनद

(नियम 11 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली ।

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 31क के अनुसार, मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियो के अनुसार.....कृति को प्रकाशन करने/सार्वजनिक संसूचित करने/अनुवाद करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं ।

2. यदि मुझे अनुज्ञप्ति को प्रदान किया जाता है तो मैं इसके नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूं ।

3. मैं यह सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमे कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान.....
तारीख.....

आपका भवदीय,

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का विवरण :
(क) कार्या का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक/स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है, तो उसके मृत होने की तारीख
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) पहले और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) पहले और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की एक प्रतिलिपि की कीमत
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्यधिकार धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
5. यदि अनुज्ञप्ति अनुवाद के लिए आवेदित है, तो कथन करे :
(क) भाषा जिसमें कृति का अनुवाद होना प्रस्तावित है
(ख) अनुवादक का पूरा नाम, अर्हताएं और पता
(ग) आवेदक का अनुवाद को उत्पाद करने और प्रकाशित करने के साधन

6. जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, का प्रायोजन उपदर्शित करे
7. आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित होने वाले प्रस्तावित कृति की प्रतिलिपियों की संख्या
8. प्रकाशन होने वाले कृति के लिए प्राक्कलित व्यय
9. कृति की प्रति प्रतिलिपियों के लिए प्रस्तावित फुटकर कीमत
10. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
11. स्वामिस्व को संदेय करने के आवेदक के साधन
12. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन सार्वजनिक रूप से संसूचित करने के लिए किया जाता है
    (क) आवेदन की गई अनुज्ञप्ति के अधीन निष्पादित होने वाली कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति की संख्या
    (ख) सार्वजनिक प्रस्तुति का प्राक्कलित व्यय
    (ग) सार्वजनिक संसूचना के क्षेत्रीय विस्तार और चैनलों के नाम
    (घ) चैनलों का नाम और सार्वजनिक रूप से संसूचित करने का क्षेत्रीय विस्तार
    (ङ) ऐसी कृतियों कार्यों के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक
13. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है और यदि हां तो संदेय की विशिष्टयां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान संख्या दे)

14. (क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
    (ख) क्या आवेदक अपने भाग पर समयक् तत्परता के पश्चात् नियम 11(3) के अनुसार सार्वजनिक सूचना के स्वामी प्रतिलिपि को खोजने में समर्थ था ।
    (ग) यदि आवेदक स्वामी को खोजने में असमर्थ था, तो क्या उसने निवेदन की एक प्रतिलिपि को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस प्रकाशक को जिसका नाम कृति पर प्रकट होता है भेजी है, यदि हां, तो साक्ष्य के साथ वह तारीख जब प्रतिलिपि भेजी गई ।

15. अनुवाद के लिए आवेदन की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दें :--
    (क) क्या पहले कोई अनुवाद उसी भाषा में प्रकाशित हो चुका था ।
    (ख) क्या पूर्व अनुवाद मुद्रण के लिए उपलब्ध नहीं है
    (ग) पूर्व अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
    (घ) पूर्व अनुवाद का शीर्षक
    (ङ) पूर्व अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
    (च) प्रकाशन का वर्ष
    (छ) पूर्व अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
    (ज) यदि पूर्व अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
    (झ) पूर्व अनुवाद के बाबत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की की दर और एकक

16. (क) क्या ऊपर 5 में कथित भाषा से अन्य किसी भाषा में अनुवाद किया गया है, यदि ज्ञात हो
    (ख) अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
    (ग) अनुवाद का शीर्षक
    (घ) अनुवाद की भाषा
    (ङ) अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
    (च) प्रकाशन का वर्ष
    (छ) अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
    (ज) यदि अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
    (झ) प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की राशि और दर, यदि ज्ञात हो

17. टिप्पणी, यदि कोई हो

18. संलग्न की सूची

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-4

अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के लिए सूचना

(नियम 15, नियम 22 और नियम 43 देखिए)

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32ख की उपधारा (1) के पहले परंतुक या उपधारा (2) के पहले परंतुक के अनुसार, मैं यह सूचना देता हूं कि नीचे दी गई कृति (भाषा का उल्लेख करें) का अनुवाद प्रत्युपादन की प्रतियों को मेरे द्वारा/मेरे प्राधिकार के अधीन प्रकाशित कर दिया गया है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

स्थान.....
तारीख.....

कथन

1. कृति का शीर्षक
2. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम और पता
3. पहले प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम पता और राष्ट्रीयता
4. लेखक जिसने कृति का अनुवाद किया है, का नाम और पता
5. वर्ष जिसमें भारत में अनुवाद को प्रकाशित किया गया है और प्रकाशक का नाम और पता
6. वर्ष जिसमें भारत में कृति का प्रत्युतपादन प्रकाशित किया गया है और प्रकाशक का नाम और पता
7. प्रकाशित कृति की खुदरा कीमत

प्ररूप-5

निर्योग्य व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(नियम 17 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 31ख के अनुसार मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निर्योग्य व्यक्तियों के फायदे के लिए प्रकाशित कृति को प्रकाशित करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं ।
2. यदि अनुज्ञप्ति मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अनुज्ञप्ति के नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूं ।
3. मैं सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान.....
तारीख.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का विवरण :
   (क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
   (ख) कृति का शीर्षक
   (ग) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो इसके मृत होने की तारीख
   (घ) कृति की भाषा
   (ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
   (च) प्रथम और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
   (छ) प्रथम और अंतिम प्रकाशन का देश
   (ज) कृति की एक प्रति की कीमत
   (झ) यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि ज्ञात हो तो
5. प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपदर्शित करे
6. रूप विधान जिसमें कृति को संपरिवर्तित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करे
7. निर्योग्यता की प्रकृति जिसके लिए रूप विधान अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट करे
8. आवेदित अनुज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित होने वाली प्रस्तावित कृति की प्रतियों की संख्या

9. प्रकाशित होने वाली कृति का प्राक्कलित व्यय
10. कृति की प्रति प्रतिलिपि की प्रस्तावित खुदरा कीमत
11. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली स्वामिस्व की दर जिसे आवेदक उचित मानता है ।
12. स्वामिस्व के संदाय के लिए आवेदक के तरीके
13. क्या विहित फीस संदत्त कर दी गई है, यदि हां तो संदाय की विशिष्टियां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/राजकोषीय चालान संख्या दे)
14. (क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
    (ख) क्या आवेदक ने निवेदन किया है और नियोग्य व्यक्ति के फायदे के लिए कृति को प्रकाशित करने के प्राधिकार को कथित व्यक्ति द्वारा नामंजूर कर दिया गया है
    (ग) यदि आवेदक स्वामी को खोजने में असमर्थ था तो उसने प्रकाशक को जिसका नामकृति में है को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा निवेदन की एक प्रति भेजी थी । यदि ऐसा है, वह तारीख जब प्रति भेजी गई
    (घ) क्या कृतियों के लेखक ने नियोग्य व्यक्ति के फायदे के लिए कृति को प्रकाशित कर दिया है यदि हां तो प्रतियों की कीमत
15. टिप्पणी, यदि कोई हो
16. संलग्नकों की सूची

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-6

अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(नियम 32 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32 के अनुसार, मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार कृति की अनुवाद का उत्पादन करने और प्रकाशित करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन करता हूं ।
2. यदि अनुज्ञप्ति मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अनुज्ञप्ति की नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूं ।

स्थान.....
तारीख.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का वर्णन :
   (क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
   (ख) कृति का शीर्षक
   (ग) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो इसके मृत होने की तारीख
   (घ) कृति की भाषा
   (ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
   (च) प्रथम और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
   (छ) प्रथम प्रकाशन का देश
   (ज) कृति की एक प्रति की कीमत
   (झ) यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि ज्ञात हो तो
5. कृति को जिस भाषा में अनुवाद किया जाना प्रस्तावित है
6. अनुवादक का पूरा नाम, अर्हताएं और पता
7. अनुवाद का उत्पादन और प्रकाशित करने के लिए आवेदक की अर्हताएं

8. प्रकाशित होने के लिए प्रस्तावित अनुवाद की प्रतियों की संख्या
9. अनुवाद के उत्पादन और प्रकाशन का प्राक्कलित व्यय
10. अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि प्रस्तावित खुदरा कीमत
11. प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त होने वाली स्वामिस्व की दर जिसे आवेदक उचित मानता है ।
12. स्वामिस्व के संदेय के लिए आवेदक के साधन
13. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है, यदि हां तो, संदाय की विशिष्टियां । (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/राजकोषीय चालान संख्या है)
14. (क) अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम पता और राष्ट्रीयता

(ख) क्या आवेदक उक्त व्यक्ति को खोजने में समर्थ था

(ग) क्या आवेदक ने निवेदन किया था और उक्त व्यक्ति द्वारा अनुवाद के उत्पादन और प्रकाशन के प्राधिकार को नामंजूर कर दिया गया था

(घ) यदि आवेदक उस स्वामी को खोजने में असमर्थ था तो क्या उसने प्राधिकार के लिए निवेदन की एक प्रति प्रकाशक को भेजी थी यदि हां तो वह तारीख जब प्रति भेजी गई थी और उसका साक्ष्य ।

15. क्या कृति के लेखक ने कृति की प्रतियों के परिचालन से वापस ले लिया है ।
16. (क) क्या पहले कोई अनुवाद इसी भाषा में प्रकाशित हुआ है ।

(ख) पूर्व अनुवाद प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है ।

(ग) क्या पूर्व अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि उक्त अनुवादक मृत है तो उसके मृत्यु की तारीख

(घ) पूर्व अनुवाद

(च) प्रकाशन का वर्ष

(छ) पूर्व अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत

(ज) यदि पूर्व अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या

(झ) पूर्व अनुवाद की बाबत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और रकम ।

17 (क) क्या ऊपर 5 में कथित भाषा से अन्य किसी भाषा में अनुवाद किया गया है ।

(ख) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो इसके मृत होने की तारीख

(ग) अनुवाद का शीर्षक

(घ) अनुवाद की भाषा

(ङ) अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता

(च) प्रकाशन का वर्ष

(छ) अनुवाद की एक प्रति की कीमत

(ज) यदि अनुवाद प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि ज्ञात हो तो

(झ) प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और राशि, यदि ज्ञात हो

18. टिप्पणी, यदि कोई हो
19. संलग्नकों की सूची

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-7

कृति के प्रकाशन, अनुवाद और प्रत्युत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति

(नियम 38 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32(1क)/32क के अनुसार, मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार किसी अप्रकाशित कृति को प्रकाशित करने या प्रकाशित कृति का प्रत्युपादन करने या किसी कृति का अनुवाद करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन करता हूं ।
2. यदि अनुज्ञप्ति मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अनुज्ञप्ति की नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूं ।
3. मैं सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी से सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान.....
तारीख.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का वर्णन :
(क) कार्या का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र,फिल्म,ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है, तो उसके मृतक की तारीख
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) पहले और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) पहले और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की एक प्रतिलिप का मूल्य
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्यधिकार धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो

5. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन अनुवाद के लिए किया जाता है, तो कथन करें :
   (क) भाषा जिसमें कृति का अनुवाद होना प्रस्तावित है
   (ख) अनुवादक का पूरा नाम, अर्हताएं और पता
   (ग) आवेदक की अनुवाद को उत्पाद करने/प्रकाशित करने की अर्हताएं
6. जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उस का प्रयोजन उपदर्शित करे
7. आवेदित की गई अनुज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित होने वाले प्रस्तावित कृति की प्रतिलिपियों की संख्या
8. प्रकाशित होने वाले कृति के लिए प्राक्कलित व्यय
9. कृति की प्रति प्रतिलिपि के लिए प्रस्तावित फुटकर कीमत
10. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
11. स्वामिस्व को संदेय करने के आवेदक के साधन
12. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है और यदि हां तो संदेय की विशिष्टयां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान संख्या दे)

13. (क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
   (ख) क्या आवेदक अपने भाग पर समयक् तत्परता के पश्चात् स्वामी को खोजने में समर्थ था ।
   (ग) क्या आवेदक ने निवेदन किया था और उक्त व्यक्ति द्वारा अप्रकाशित कृति को प्रकाशित करने या प्रकाशित कृति का प्रत्युपादन करने या अनुवाद के उत्पादन और प्रकाशन के प्राधिकार को नामंजूर कर दिया गया था ।
   (घ) यदि आवेदक स्वामी को खोजने में असमर्थ था, तो क्या उसने निवेदन की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकृत वायु डाक द्वारा उस प्रकाशक को जिसका नाम कृति पर प्रकट होता है, भेजी है, यदि ऐसा है, तो वह तारीख जिसको भेजी गई ।
14. क्या कृति के लेखक ने कृति की प्रतियों के परिचालन से वापस ले लिया है ।
15. अनुवाद के लिए आवेदन की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दे :--
   (क) क्या पहले कोई अनुवाद उसी भाषा में प्रकाशित किया गया है ।
   (ख) क्या पूर्व अनुवाद, प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है
   (ग) पूर्व अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
   (घ) पूर्व अनुवाद का शीर्षक
   (ङ) पूर्व अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
   (च) प्रकाशन का वर्ष
   (छ) पूर्व अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
   (ज) यदि पूर्व अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
   (झ) पूर्व अनुवाद के बाबत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और रकम

16. (क) क्या ऊपर 5 में कथित भाषा से अन्य किसी भाषा में अनुवाद किया गया है
   (ख) अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
   (ग) अनुवादक का शीर्षक
   (घ) अनुवाद की भाषा
   (ङ) अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
   (च) प्रकाशन का वर्ष
   (छ) अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
   (ज) यदि अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
   (झ) प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और रकम, यदि ज्ञात हो

17. टिप्पणी, यदि कोई हो

18. संलग्नकों की सूची

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप -8

(नियम 44 देखें)

प्रतिलिप्याधिकार का कारबार करने और प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (पूरा पता लिखें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)
2. प्रतिलिप्याधिकार कारबार करने की बाबत आवेदक द्वारा प्रस्थापित कृति की विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों का संवर्ग
3. आवेदक का पृथक विधिक व्यक्तित्व दर्शाने के लिए प्रमाण-पत्र
4. आवेदक में समाविष्ट हुए व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय या उपजीविका
5. ऐसी कृतियों के ब्योरे जिसमें उन व्यष्टिकों का प्रतिलिप्याधिकार है
6. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है
7. आवेदक के शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है) जिस उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित है, में समाविष्ट व्यक्तियों के नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका
8. व्यक्ति की व्यष्टियों क्षमता (रचयिता या अधिकारों का अन्य स्वामी) जिसने वह में शासी निकाय का सदस्य बना है
9. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम तथा पता जिस पर संसूचना तामील कराई जा सके
10. आवेदन की तारीख को आवेदक की वित्तीय स्थिति अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष
11. नियम 48 में उल्लिखित दस्तावेज
12. शासी निकाय के सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान----------
तारीख----------

प्ररूप -9

(नियम 47 देखें)

प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी के पुनः रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की बाबत आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (बड़ अक्षरों में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)

2. प्रतिलिप्याधिकार कारबार करने की बाबत आवेदक द्वारा पुरस्थापित कृति की विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में अधिकार या अधिकारों का संवर्ग

3. आवेदक का पृथक विधिक व्यक्तित्व दर्शाने के लिए प्रमाण-पत्र

4. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है

5. आवेदक के निगमन का वर्ष और वह तारीख जिससे से आवेदक को प्रतिलिप्याधिकार कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है

6. आवेदक का शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है) जिसमें उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित है, में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका

7. व्यक्ति की क्षमता (रचयिता या अधिकारों का अन्य स्वामी) जिससे वह शासी निकाय का सदस्य बना है

8. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम तथा पता जिस पर संसूचना तामील कराई जा सके

9. आवेदन की तारीख को आवेदक की वित्तीय स्थिति अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष

10. नियम 42(3) और 43 में उल्लिखित

11. शासी निकाय के सदस्यों के नाम के और हस्ताक्षर

12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान--------------

तारीख------------

प्ररूप - 10

(नियम 49 देखें)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 33(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं.———————— द्वारा————————(सोसाइटी का नाम और पता) को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और————————में (कृति के विशिष्ट वर्ग का नाम इंगित करें) प्रतिलिप्याधिकार कारबार प्रारंभ करने और जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

यह रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है और जिनके पालन नहीं होने या उल्लंघन पर रद्द हो सकेगी, अर्थात् :-

(i) आवेदन में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है और किसी प्रकार से भ्रामक नहीं है ; और

(ii) प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी अपने ऊपर प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्याधिकार नियम, 1958 द्वारा अधिरोपित सभी बाध्यताओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगी।

नई दिल्ली ————

तारीख———— (मुहर) रजिस्ट्रार

प्रतिलिप्याधिकार

प्ररूप 11

(नियम 68 देखें)

कारबार करने और प्रस्तुतीकरण सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की बाबत अनुज्ञा के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (पूरा पता लिखें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)

2. प्रस्तुतकर्ताओं के वे वर्ग जिनके अधिकार के लिए आवेदक जारी अनुज्ञप्ति पर कारबार करेगा

3. आवेदक का पृथक विधिक व्यक्तित्व दर्शाने के लिए प्रमाण-पत्र

4. आवेदक में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय या उपजीविका

5. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है

6. आवेदक के शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है)जिसमें उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित है, में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका

7. व्यक्ति की क्षमता (प्रस्तुतकर्ता या अधिकारों का अन्य स्वामी) वह जिससे शासी निकाय का सदस्य बना है

8. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम तथा पता सहित जिस पर संसूचना तामील कराई जा सके

9. आवेदन की तारीख में आवेदक की वित्तीय स्थिति, अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष

10. नियम 48 में उल्लेखित दस्तावेज

11. शासी निकाय के सदस्यों के नाम के और हस्ताक्षर

12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान----------
तारीख----------

प्ररूप 12
(नियम 68 देखें)
प्रस्तुतीकरण सोसायटी के पुनः रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की बाबत आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (पूरा पता लिखें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)

2. प्रस्तुतकर्ताओं के वे वर्ग जिनके अधिकार के लिए आवेदक कारबार पर अनुज्ञप्ति जारी करेगा

3. आवेदक में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय या उपजीविका

4. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है

5. आवेदक के शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है)जिस उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित हो, में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका

6. व्यक्ति की जिसकी क्षमता (प्रस्तुतकर्ता या अधिकारों का अन्य स्वामी) वह में शासकीय निकाय का सदस्य बना है

7. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएगें और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पता पदनाम जिस पर संसूचना तामील की जा सके

8. आवेदन की तारीख को आवेदक की वित्तीय स्थिति अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष

9. नियम 48 में उल्लिखित दस्तावेज

10. शासी निकाय के सदस्यों के नाम के और हस्ताक्षर

11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान----------
तारीख----------

प्ररूप 13
प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण की बाबत प्ररूप
(नियम 69 देखें)

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता

3. कृति के प्रतिलिप्याधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति

4. कृति का वर्ग और उसके विवरण

5. कृति का शीर्षक

6. कृति की भाषा

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता और, यदि रचयिता मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख

8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश और प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता

10. पश्चात्वर्ती प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई है तो प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयता

11. विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता जिनमें प्रतिलिप्याधिकार जिसमें प्रत्येक द्वारा धारित अधिकारों का विस्तार भी समाविष्ट है और समनुदेशनों और अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों (यदि कोई हों)

12. अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, जो प्रतिल्याधिकार में समाविष्ट अधिकारों को समनुदेशित करने या अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत हो, के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं*

13. वास्तु कलाकृति (कृति के समापन का वर्ष भी दर्शाया जाएगा)

14. कलात्मक कृति की दशामें क्या किसी माल या सेवा के संबंध में उसका उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने योग्य है

15. टिप्पणी, यदि कोई हो,

प्ररूप 14

प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(नियम 70 देखें)

सेवा में,
रजिस्ट्रार प्रतिलिप्याधिकार
प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय
नई दिल्ली ।

महोदय,

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 के अनुसार मैं प्रतिलिप्याधिकार के लिए आवेदन करता/करती हूँ और इसके साथ संलग्न विशिष्टियों के कथन (तीन प्रतियों में) की प्रविष्टियों को प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में दर्ज करने का निवेदन करता/करती हूँ-

(1) मैं, कृति से संबंधित सम्यक् रूप से पूर्ण प्रविष्टियों के अतिरिक्त कथन को भी भेज रहा हूँ ।

(2) प्रतिलिप्याधिकार नियम, 2012 के नियम 70 के अनुसार मैंने नीचे दर्शाए गए अन्य संबंधित पक्षकारों को पहले ही महसूल दे दी गई रजिस्ट्री डाक से इस पत्र की और संलग्न कथनों की प्रतियां भेज दी हैं :-

पक्षकारों के नाम और पते	प्रेषित करने की तारीख

(3) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विहित फीस का भुगतान कर दिया गया है :-

(4) इस विषय की संसुचनाएं----------को संबोधित की जा सकती है ।

(5) मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार जिस व्यक्ति को सूचना भेजी गई है उनके सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति कोई दावा या हित या इस कृति के मेरे प्रतिलिप्याधिकार या इसे मेरे द्वारा उपयोग करने का विवाद नहीं है ।

(6) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इसप्ररूप में दी गई प्रविष्टियां और प्रविष्टियों के कथन और अतिरिक्त प्रविष्टियों के कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचना से सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

(7) संलग्नों की सूची

स्थान----------

भवदीय

तारीख----------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रविष्टियों के कथन

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या (प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय में भरा जाए)
2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
3. कृति के प्रतिलिप्याधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति
4. कृति का वर्ग और उसका वर्णन
5. कृति का शीर्षक
6. कृति की भाषा
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता और, यदि रचयिता मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
10. पश्चात्वर्ती प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई है तो प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयता
11. विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता जिनमें प्रतिलिप्याधिकार जिसमें प्रत्येक द्वारा धारित अधिकारों का विस्तार भी समाविष्ट है और समनुदेशनों और अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों (यदि कोई हो),
12. उन व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताओं (यदि कोई हो तो) जो कि प्रतिलिप्याधिकार में समाविष्ट अधिकारों को समनुदेशित करने या अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत हो ।
13. यदि कृति कोई "कलात्मक कृति" है तो मूल कृति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता सहित उस कृति की अवस्थिति (वास्तु कला कृति होने की दशा में उस कृति के पूर्ण होने का वर्ष भी दर्शाया जाएगा) ।
14. यदि कृति "कलात्मक कृति" है तो जो किसी माल के संबंध में उपयोग की गई हो या उपयोग किए जाने के योग्य हो तो आवेदन के साथ, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 45 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार, रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह मार्क, का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
15. यदि कृति "कलात्मक कृति" है तो क्या वह डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है यदि हां तो उसके ब्यौरे दीजिए ।
16. यदि कृति कोई "कलात्मक कृति" है तो जो डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के योग्य है, क्या यह औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु पर लागू किया गया है, यदि हां तो कितनी बार प्रत्युपादित किया गया है ।
17. टिप्पणी यदि कोई हो तो ।

स्थान.....

हस्ताक्षर

तारीख.....

अतिरिक्त विशिष्टियों के कथन

(केवल साहित्यिक कृति जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृति भी है)

1. क्या कृति को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है-
(क) कोई मूल कृति ?
(ख) लोक विषय में कृति का अनुवाद ?
(ग) उस कृति का अनुवाद जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व हो ?
(घ) कृति को लोक विषय में अनुकूलन ?
(ङ) उस कृति का अनुकूलन जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व हो ?

2.यदि कृति कोई ऐसी कृति है का अनुवाद या अनुकूलन है जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व हो-

(क) मूल कृति का शीर्षक
(ख) मूल कृति की भाषा
(ग) मूल कृति के लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख
(घ) मूल कृति के प्रकाशक (यदि कोई हो तो) का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(ङ) प्राधिकरण की विशिष्टियां जिसमें अनुवाद या अनुकूलन को प्राधिकृत करने वाले पक्षकार का नाम, पता और राष्ट्रीयता है

3. टिप्पणी, यदि कोई हो

स्थान.....

हस्ताक्षर

तारीख.....

प्ररूप -15

प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(नियम 71 देखें)

सेवा में,
रजिस्ट्रार प्रतिलिप्याधिकार
प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय
नई दिल्ली ।

महोदय,

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 2013 क नियम 71 के अनुसार मैं प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में बदलावों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता/करती हूँ और निवेदन करता/करती हूं कि संलग्न विशिष्टियों के कथन में विनिर्दिष्टानुसार वर्तमान प्रविष्टियों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(2) मैंने इस पत्र की प्रतियां और विशिष्टियों के कथन नीचे दर्शाए गए संबंधित पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया है:-

पक्षकारों के नाम और पते	प्रेषित करने की तारीख

* प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्टर के स्तंभ 7,11,12 और 13 देखें

(3) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार :- विहित फीस का भुगतान कर दिया गया है :

(4) इस विषय पर संसुचनाएं————————————————को संबोधित की जा सकती है ।

(5) मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार जिस व्यक्ति को सूचना भेजी गई है उसके सिवाय किसी अन्य व्यक्ति कोई दावा या हित या इस कृति के मेरे प्रतिलिप्याधिकार या इसे मेरे द्वारा उपयोग करने का विवाद नहीं है ।

(6) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इसप्ररूप में दी गई प्रविष्टियां और प्रविष्टियों के कथन और अतिरिक्त प्रविष्टियों के कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचना से सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान————————

भवदीय

तारीख————————

(आवेदक के हस्ताक्षर)

विशिष्टियों के कथन

1. प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार विशिष्टियों में परिवर्तन

प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में स्तंभ संख्या के संदर्भ में	प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि	रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रस्तावित प्रविष्टि	प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कारण
1	2	3	4

टिप्पण : जहां प्रस्तावित परिवर्तन प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के परिणामस्वरूप है वहां समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के विलेख की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी:-

3. संलग्नकों की सूची

स्थान————————

तारीख————————

(हस्ताक्षर)

प्ररूप 16

अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत सूचना

[नियम 79 देखें]

सेवा में,

सीमा शुल्क आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा बोर्ड
नई दिल्ली

महोदय,

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 53 के अनुसार, मैं कथन करता हूँ कि मैं————————कृति——————में प्रतिलिप्याधिकार/अधिकार का/की स्वामी हूँ या मैं ————————————(पूरा नाम)——————, जो ——————संलग्न कथन के अनुसार कृति——————में प्रतिलिप्याधिकार/अधिकार का स्वामी है, का सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता हूँ। कथित कृति की——————प्रतियों की संख्या——————अतिलंघनकारी प्रतियों का भारत में——————समय——————बजे——————स्थान पर पहुंचना प्रत्याशित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन अतिलंघनकारी प्रतियों को —————— की अवधि के लिए प्रतिषेधित रखा जाए।

कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां न होने की दशा में डमरेज व्यय, भंडारण व्यय और आयातकर्ता के प्रतिकर को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित प्रतिभूति की राशि जमा करने का वचन देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ऐसे माल के रोके जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, स्थायी या अस्थायी निपटान के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से आदेश प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ उपरोक्त कथन में निम्न दी गई प्रविष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है।

स्थान——————

भवदीय

तारीख——————

(हस्ताक्षर)

शपथ पत्र का प्ररूप

मैं——————पूरा नाम——————निवासी—————————— सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर कथन करता हूँ कि—

1. निम्न कथन में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास से सही हैं

2. उक्त कथन की विशिष्टियों के अनुसार जो कृतियां आयात की जा रही हैं वो उक्त कथन में वर्णित कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां हैं। और

3. मैं उक्त कथित अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात के निवारण में हितबद्ध हूं।

कथन

1. धारित कृति और अधिकारों की विशिष्टियां-

(i) सूचना देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता

(ii) यदि आवेदक प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी नहीं है तो प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता

(iii) कृति का वर्णन-

(क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक चलचित्र फिल्म ध्वन्यांकन)

(ख) कृति का शीर्षक

(ग) रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता यदि रचयिता मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख

(घ) कृति की भाषा

(ङ) प्रकाशक का नाम और पता

(च) प्रथम प्रकाशन का वर्ष

(छ) प्रथम प्रकाशन का देश

(ज) यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात का ब्यौरा :-

(i) अतिलंघनकारी प्रतियों का मूल देश

(ii) भारत में आयातकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

(iii) अतिलंघनकारी प्रतियों के निर्माणकर्ता का नात, पता और राष्ट्रीयता

(iv) भारत में अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात का प्रत्याशित समय और स्थान

(v) अतिलंघनकारी प्रतियों के पता लगने और निरुद्ध होने की दशा में क्या कथित प्रतियों की पहचान के लिए आवेदक स्वयं जाने को तैयार है या अपने किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को नियुक्त करेगा ।

3. क्या विहित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और यदि हां तो भुगतान का ब्यौरा (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/खजाना चालान संख्या दीजिए)

4. अन्य कोई सुसंग जानकारी जो उपरोक्त में समाविष्ट न हो ।

5. संलग्न:-

(i) उस कृति की प्रति जिसमें प्रतिलिप्याधिकार/अन्य अधिकार का अतिलंघन हो रहा है ।

(ii) कृति में प्रतिलिप्याधिकार के स्वामित्व और रचयिता होने के साक्ष्य ।

(iii) प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन के साक्ष्य

(iv) अतिलंघनकारी प्रतियों के भारत लाए जाने के साक्ष्य फीस/शुल्क के भुगतान के साक्ष्य(पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/खजाना चालान की प्रति) ।

(v) शुल्क के संदाय का साक्ष्य (पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान की प्रतिलिपि)

स्थान———————

तारीख———————

(हस्ताक्षर)

दूसरी अनुसूची
(नियम 83 देखिए)

क्रम संख्या	मद	प्रस्तावित फीस
1.	किसी साहित्यिक नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति को पुनःप्रकाशित करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31, धारा 31(क), 31(ख) और 32(क)	5000 रुपए प्रति कृति
2.	प्रसारण द्वारा जनता को किसी कृति को संसूचित करने को किसी अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31(1) (ख),	40,000 रुपए प्रति आवेदक/प्रति स्टेशन
3.	चलचित्र फिल्म को पुनः प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31)	15000 रुपए प्रति कृति
4.	ध्वन्यांकन को पुनः प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31)	10,000 रुपए प्रति कृति
5.	किसी कृति के सार्वजनिक प्रस्तुति की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31)	5000 रुपए प्रति कृति
6.	किसी कृति या अनुवाद को सार्वजनिक ग्रन्थाकार प्रकाशित या संसूचित करने की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31(क))	5000 रुपए प्रति कृति
7.	निर्योग्य व्यक्ति के लिए उपयोगी किसी भी रूप विधान में किसी कृति को प्रकाशित करने की किसी अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31(ख))	2000 रुपए प्रति कृति
8.	किसी भी भाषा में किसी साहित्यिक कृति या नाट्य कृति के अनुवाद रचने और प्रकाशन करने की किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन (धारा 32, 32(क))	5000 रुपए प्रति कृति
9.	प्रतिलिप्याधिकार में किसी - (क) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन (ख) परंतु यह किस साहित्यिक या कलात्मक कृति की बाबत जो किसी किसी माल के संबंध में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने के योग्य है (धारा 45)	500 रुपए प्रति कृति 2000 रुपए प्रति कृति
10.	प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर में किसी- (क) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की बाबत प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए किसी आवेदन के लिए (ख) परंतु यह किस साहित्यिक या कलात्मक कृति की बाबत जो किसी किसी माल के संबंध में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने के योग्य है (धारा 45)	200 रुपए प्रति कृति 1000 रुपए प्रति कृति
11.	किसी चलचित्र फिल्म में प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन के लिए (धारा 45)	5000 रुपए प्रति कृति
12.	चलचित्र फिल्म के रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के लिए (धारा 45)	2000 रुपए प्रति कृति
13.	ध्वन्यांकन में प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन के लिए	2000 रुपए प्रति कृति
14.	ध्वन्यांकन के बाबत प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर में प्रविष्ट	1000 रुपए प्रति कृति

	प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के रजिस्ट्रेशन के किसी आवेदन के लिए (धारा 45)	
15.	प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर से उद्धरण निकालने के लिए (धारा 47)	500 रुपए प्रति कृति
16.	अनुक्रमणिका से निष्कर्ष निकालने के लिए (धारा 47)	500 रुपए प्रति कृति
17.	अनुक्रमणिका या प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर से किसी निष्कर्षण की किसी अनुप्रमाणित प्रति के लिए (धारा 47)	500 रुपए प्रति कृति
18.	प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के सचिव या प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में किसी अन्य सार्वजनिक दस्तावेज की किसी अभिप्रमाणित प्रति के लिए	500 रुपए प्रति कृति
19.	अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात के निवारण के किसी आवेदन के लिए (धारा 53)	1200 रुपए प्रति कृति/प्रति की स्थान प्रविष्टि

[सं. एफ. 9-4/2012-सीआरबी/विधायी इकाई]
अमित खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2013

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Copyright Act, 1957, and in supersession of the Copyright Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. (1) These rules may be called the Copyright Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Interpretations.** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(*a*) "Act" means the Copyright Act, 1957 (14 of 1957);

(b) "Board" means a Copyright Board as defined in sub-section (1) of section 11;

(*c*) "copyright business" means the business of issuing or granting licence in respect of a right or set of rights in specific acts in respect of a work or any substantial part thereof referred to in section 14 and includes the functions referred to in sub-section (3) of section 34;

(d) "Form" means a Form set out in the First Schedule;

(*e*) "Schedule" means a Schedule to these rules; and

(*f*) "section" means a section of the Act.

(2) Word and expressions used herein but not defined and defined in the Copyright Act, 1957, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.